हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 अगस्त, 1988

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 25 अगस्त, 1988

पृश्ठ संख्या

ताराकित प्र न एवम उत्तर	(4)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(4)42
अताराकित प्र न एवम उत्तर	(4)44

वक्तव्य –	
राजस्व मंत्री द्वारा 24 अगस्त, 1988 को प्रश्नोत्तर काल के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा श्री मंगल सैन एम.एल.ए. के बारे में की गई कतिपय टिप्पणियों सम्बन्धी	(4)67
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(4)67
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	
मुख्य प्रशासक, फरीदाबाद टाउनशिप तथा कम्पलैक्स द्वारा मजदूरों की कालोनी तथा खोखों को गिराने सम्बन्धी	(4)68
वक्तव्य –	
गृह मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(4)71
वाक आउट	(4)74
बिल्ज –	
(i) दि पंजाब शडयूल्ड रोडज एण्ड कण्ट्रोड एरियाज रिस्ट्रिक्शन औफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1988	(4)75
(ii) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुलेशन औफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 1988	(4)79

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 25 अगस्त, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

ताराकित प्र ान एवम उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबार, अब सवाल होंगे।

Bio-Gas Plant in Yamunanagar

***600. Sh. Ranjit Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether any Bio-Gas Plant was sanctioned for Yamunangar, if so, the year in which it was sanctioned and the time by which it is likely to be commissioned; and

(b) the total units of power likely to be generated from the said plant togetherwith the names of areas to which the same is likely to be supplied?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh): (a) & (b): No. such power generation plant has been sanctioned.

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि बायोगैस प्लांट लगाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई

है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोई गैस बेस्ड प्लान्ट हरियाणा में सैंकशन्ड हुआ है और अगर हुआ है तो कहां पर हुआ है, कब हुआ है और उस पर क्या खर्चा आयेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, गैस बेस्ड जनरेशन के लिए गवर्नमैंट औफ इंडिया ने हम से सम्पर्क किया है कि वह 600 मैगावाट का पावर प्लान्ट फरीदाबाद में लगाया चाहती है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार ही रहा है। गवर्नमैंट औफ इंडिया से बातचीत चल रही है। फाइनेलाइज होने के बाद सदन को पूरी सूचना दे सकेंगे। अभी बातचीत चल रही है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, गैस बेस्ड प्लान्ट की चर्चा चल रही है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि उस प्लांट के लगाने से हरियाणा को क्या लाभ होगा और यह गैस कहां से आयेगी? इस बारे में डिटेल में बता दें?

श्री वीरेन्द्र सिंह: गैस की पाईप लाईन जगदीशपुर तक आनी भी लकिन गवर्नमैंट आफर इंडिया से बहुत ऐफर्टस करके, बातचीत करके कोशिश की है कि उसकी टरमिनेशन फरीदाबाद हो। अगर फरीदाबाद में टरमिनेशन होगी और 600 मैगावाट का प्लान्ट लग गया तो कई सालों तक की पावर प्रौब्लम समाप्त हो जायेगी।

श्री मंगल सैन: मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी जनरेशन कितनी होगी और कितना बैनिफिट होगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: उसकी इनस्टाल्ड कैपेसिटी 600 मैगावाट होगी और उसी जनरेशन क्या होगी यह उसके चलने पर पता चलेगा।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर सर, क्या कोई गैस बैल्ड प्लान्ट नौर्थ रीजन में है या दिल्ली के नजदीक आलरेडी इनस्टाल्ड है? दूसरी उसकी जनरेशन कितनी होगी जैसा कि डाक्टर मंगल सैन जी ने पूछा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अभी तक यहां कोई गैस बेस्ड प्लान्ट नहीं है। पहली बार यह लाईन आ रही है। वैसे गैस बेस्ड प्लान्ट थर्मल प्लान्ट से अच्छा रहता है।

श्री हीरा नन्द आर्य: जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि फरीदाबाद में गैस बेस्ड प्लान्ट लगाने का मामला विचाराधीन है, बातचीज चल रही है और बातचीत कब तक फाइनेलाइज हो जायेगी, यह निश्चित नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की सोलर सिस्टम प्लान्ट लगाने की योजना है, अगर है तो उसका क्या तरीका है और क्या उस बारे में सरकार ने विचार किया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सरकार फरीदाबाद में गैस बेस्ड प्लान्ट लगाने के बारे में सोच रही है। निकट भविश्य में उसका फैसला होने वाला है। स्पैसिफिक डेट नहीं दे सकते। जहां तक सोलर

ऐनर्जी प्लान्ट लगाने की बात है इस पर सरकार ने विचार नहीं कर रही है क्योंकि उसकी टैक्नोलोजी बहुत ऐक्सपैंसिव है।

Upgradation of Sub-Tehsil Hodel

***559. Sh. Udai Bhan**: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Hodel sub-tehsil into a full-fledged Tehsil, if so, the time by which the said proposal is likely to materialise?

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): जी नहीं।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, कालका, बावल और पटौदी आदि कई ऐसी तहसीलें हैं जहां पर 11 से 13 तक पटवार सरकल हैं। उप–तहसील होडल में 48 पटवार सरकल हैं लेकिन फिर भी उसे पूरी तहसील नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसे पूरी तहसील क्यों नहीं बनाया जा रहा है?

श्री सूरज भान: यह मामला डिस्ट्रिक्ट री–आर्गेनाइजेशन कमेटी के जेरेगौर है। इस स्टेज पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस साल के अन्त तक जब वह कमेटी रिपोर्ट दे देगी तभी कुछ कहा जा सकता है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किसी सब–तहसील को तहसील बनाने का क्या क्राईटेरिया है? अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जैसा कि आप जानते

हैं, एक जिला है। उसके नाम से एक उप–तहसील है और फरीदाबाद में एक बल्लभगढ़ तहसील है। फरीदाबाद में काम इतना ज्यादा होता है कि शायद ही सारे जिले में कहीं पर होता हो। सारे जिले में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां वहां पर होती हैं। स्टाम्पस वगैरा की सेल से सरकार को सबसे ज्यादा पैसा वहां से मिलता है। क्या वहां पर सरकार की कोई योजना विचाराधीन है कि उस उप–तहसील का तहसील बनाया जाये, अगर नहीं है तो क्या नजदीक भविश्य में ऐसा कोई विचार सरकार करेगी?

श्री सूरज भान: फिलहाल तो ऐसी कोई तजवीज नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्टस री–आर्गेनाईजेशन कमेटी के सामने इन्होंने अपना केस पेश होगा तो देख लेंगे।

Terroist Killing Incidents in the State

***570.@ Sh. Hira Nand Arya, Sh. Mangal Sein, Sh. Rattan Lal Kararia**: Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) the number of incidents of terrorist killing groups encounters that took place in the State during the period from 1987-88 to-date (31.7.88), separately, togetherwith the details thereof;

(b) the number of persons killed/injured in the said incidents;

(c) whether all the accused involved in the said incidents have been arrested; if not, the steps taken/being taken to arrest the said culprits; and

(d) the details of the help, if any, received from the Government of India to combat terrorist activity in the State?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह):

(क)	वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।
(ख)	
(ग)	
(घ)	

सूचना

(क) राज्य में वर्श 1987–88 स अब तब (31–7–88) की अवधि में आतंक वादियों द्वारा मारने की 6 तथा एक मुठभेड़ की घटनाएं हुई जो निम्नलिखित हैं:–

(1) अधियोग संख्या 225 दिनांक 7.7.87 धाराधीन 302/307/34/506 भा.दं.सं., 25/54/59 शस्त्र अधिनियम तथा 6 टी.डी.ए.पी. अधिनियम थाना फतेहाबाद जिला हिसार।

दिनांक 7.7.87 को लगभग 8.30 बजे सायं गांव दरियापुर थाना फतेहाबाद जिला हिसार के पास दुर्दात आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों द्वारा बस नं. एच.आर.टी.

5366 ओर एच.वाई.एन. 6302 के 34 निर्दोश व्यक्तियों (हिन्दुओं) को मार दिया तथा 21 व्यक्तियों को घायल कर दिया। अपराधियों ने कार न. आर.एस.सी. 5555 के चालक को भी मार दिया और सीमेंट के थैलों से भरे एक ट्रक को लूट लिया तथा एक जीप जो हनुमानगढ़ (राजस्थान) से किराए पर ली थी और जिसका नम्बर डी.ई.डी. 3231 नकली पाया गया, को छोड़कर भागने में सफल हो गए।

(2) अभियोजग संख्या 1 दिनांक 1.1.88 धाराधीन 302/307/34 भा.द.स. तथा 6 टी.डी.ए.पी. अधिनियम थाना शहर अम्बाला।

दिनांक 1.1.88 को आतंकवादियों ने मास्टर शिव प्रशाद, विधायक (भा.ज.पा.) पर अम्बाला शहर में स्थित उनकी दुकान पर कातिलाना हमला किया जिससे वे घायल हो गए और उनका नौकर मारा गया।

(3) अभियोग संख्या 115 दिनांक 9.4.88 धाराधीन 302/307 भा.द.स. तथा 6 टी.डी.ए.पी शाहबाद जिला कुरूक्षेत्र।

दिनांक 9.4.88 को 5 आतंकवादियों ने डा. हरनाम सिंह विधायक (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) के शाहबाद स्थित निवास स्थान पर ए.के.– 47 राईफलों द्वारा उनके परिवार पर हमला किया। इस घटना में तीन व्यक्ति–उनका लड़का, लड़के की पत्नी तथा उनके साले का लड़का मारे गए तथा डा. हरनाम सिंह

विधायक सहित 5 व्यक्ति घायल हुए। एक आतंकवादी भी उसके साथियों द्वारा मारा गया।

(4) अभियोग संख्या 277 दिनांक 8.5.88 धाराधीन 302/34 भा.द.स. तथा 3/4/5 टी.डी.ए.पी अधिनियम थाना शहर पानीपत।

दिनांक 8.5.88 को रात्रि के लगभग 11.30 बजे 5 आतंकवादियों ने शहर पानीपत में एक शादी की पार्टी पर अन्धाधुन्ध गोलियां चला कर 14 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 25 व्यक्तियों को घायल कर दिया।

(5) अभियोग संख्या 176 दिनांक 19.6.88 धाराधीन 302/307 भा.द.स., 5 विस्फोटक अधिनियम तथा 6 टी.डी.ए.पी. अधिनियम थाना थानेसर जिला कुरूक्षेत्र।

दिनांक 19.6.88 को प्रातः लगभग 10.10 बजे जब लगभग 50/60 व्यक्ति पुराना बस स्टैन्ड कुरूक्षेत्र के समीप जगत इलैक्ट्रानिक्स सेल्ज एण्ड सर्विस की दुकान पर टैलीविजन पर ''रामायण'' धारावाहिक देख रहे थे, एक शक्तिशाली बम के फटने से 16 व्यक्ति मारे गए तथा 29 अन्य घायल हुए।

(6) अभियोग संख्या 168 दिनांक 20.6.88 धाराधीन 302 भा.द.स. तथा 3/4/5 टी.डी.ए.पी अधिनियम थाना पेहवा जिला कुरूक्षेत्र।

दिनांक 20.6.88 को लगभग 9.30 बजे सांय 4 आतंकवादियों ने खुशवन्त सिनेमा पेहवा के सामने शो समाप्ति के तुरन्त बाद निर्दोश व्यक्तियों पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दी जिनमें आतंकवादियों ने 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 9 को घायल कर दिया।

मुठभेड़

दिनांक 15.7.88 को एक ट्रक न. एच.आर.एन. 7226 द्वारा पेहवा (कुरूक्षेत्र) का बैरियर तोड़ने तथा प्रधान सिपाही रिशीपाल के ऊपर से ट्रक भगा कर मारने की कोशिश की जिसने इसकी सूचना टेलीफोन द्वारा थाना पेहवा को दी जिस पर एक अभियोग संख्या 100 धाराधीन 307/353/332 भा.द.सा. थाना पेहवा दर्ज किया गया। सभी सम्बन्धित थानों को बेतार संदेश भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक, कुरूक्षेत्र को, जो उस समय छामु बैरियर पर थे, उक्त संदेश मिला तथा ट्रक का पीछा किया जिस सभी बैरियरों को तोड़ने के पश्चात् रेलवे क्रासिंग बलदेव नगर, अम्बाला शहर पर रोक लिया गया। ट्रक ने ''यू'' मोड़ लेने की कोशिश की ओर पुलिस अधीक्षक की स्टाफ कार में टक्कर मारी। भयानक खतरे को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के गनमैन ने गोलियां चला दी जिसके फलस्वरूप ट्रक चालाक व उसका सहयोगी दोनों मारे गए। ट्रक से एक देसी राइफल 303, 17 जीवित कारतूस 303, तीन बिना चले 303 कारतूस, 3 खाली 303 कारतूस तथा एक राइफल ए.के. 47 बरामद की गई। दोनों मृत

व्यक्तियों की पहचान करने पर उनके नाम सज्जन सिंह पुत्र शरम सिंह वासी जोरासी खुर्द तथा लखविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिह वासी जोरासी खुई पाए गए।

(ख)

व्यक्तियों की संख्या		
	मृतक	घायल
1	34	21
2	1	1
3	3	5
4	14	25
5	16	29
6	6	9

(ग) उपरोक्त अभियोगों में संलिप्त अधिकांश आतंकवादी या तो गिरफतार किए जा चुके हैं या मुठभेड़ों में मारे जा चुके है। आतंकवादी अभियोगों की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेश अनुसंधान सैल बनाया गया और सभी मुकदमों से संलिप्त दोशियों को पता लग गया है। भगौड़े आतंकवादियों को काबू करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) हरियाणा में आतंकवादियों की बढ़ती हुई धमकियों तथा आंतकवादी से निपटने के लिए भारत सरकार ने आधुनिकीकरयण योजना के अन्तर्गत गाड़ियां खरीदने के लिए 50 लाख रूपये अनुदान सहायता व ऋण के रूप में दिए हैं। इसी प्रकार हमारे अनुरोध पर भारत सरकार ने हथियार, असला और बुलेट प्रूफ जाकेट भी जारी कर दिए हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा सरकार को केन्द्र सरकार ने जो सहायता दी है, उससे वह संतुश्ट है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि जो विधायक या मैम्बर पार्लियामैंट के साथ गनमैन वगैरह दिये हुए है, उने पास थर्ड–रेट हथियार हैं?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आर्य साहब ने पहले तो यह पूछा है कि हम केन्द्रीय सहायता से संतुश्ट हैं या नहीं। हमने केन्द्र सरकार से काफी मांग की हुई है। आपको पता है कि स्टेट का बजट बहुत कम होता है। ला एंड आर्डर की सिचुऐशन में पंजाब के फाल आउट होने की वजह से सैंटर की सरकार से हमने काफी मांग की हुई है जिसमें से 50 लाख रूपया नकद तो हमें मिल गया है। हमने उसे गाड़ियों खरीदी हैं। इसी तरह से हथियारों की भी हमने मांग की है। हमने सैंटर से एक हजार के करीब रिवाल्वर, 1500 स्टेन गन्ज और 1500 राईफल्ज 0.66 एम. एम. की मांग की हुई है। इसमें से सैन्टर ने हमें 700 स्टेन गन्ज

के आर्डर कर दिये हैं। इसी तरह से एक हजार राईफल्ज के आर्डर भी कर दिये हैं। अभी हमने उनको रिसीव करना है। हमारे अफसर उनको लेने के लिये गये हुए हैं। दूसरे और जो हथियोरों की हमें जरूरत है, उसके लिये बाकायदा खतो–किताबत चल रही है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय दो–तीन बार होम मिनिस्टर से मिल भी चुके हैं। आज सुबह ही टेलीफोन पर होम मिनिस्टर से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाकी जो हथियार हैं, वह भी हमें जल्दी दो। जहां तक इनके थर्ड रेट हथियार की बात है, यह ठीक नहीं है। हमारा कोई भी हथियार थर्ड रेट नहीं है। वी.आई.पीज. की सिक्योरिटी के लिये जो हथियार चाहियें, वह हम दे रहे हैं। आप निश्चित रहें आपकी सिक्योरिटी का बाकायदा हरियाणा प्रबन्ध किये हुए है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, गृह मंत्री जी ने हथियारों के नाम बता दिये हैं जो इन्होंने सैंटर से मांगे हैं। जो हथियार आपके पास हैं और केन्द्र से मंगवा रहे हैं, उसके मुकाबले में उग्रवादियों के पास चीन और विदेशी शक्तियों से मिले हुए आधुनिक हथियार हैं। आप उनका कैसे मुकाबला कर पायेंगे?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आदमी को लड़ने की विल भी चाहिये और दिल भी चाहिये। आप सारी दुनिया इस बात की दुहाई दे रही है लेकिन हरियाणा प्रदेश की पुलिस को इस बात की शाबाश देनी चाहिये कि उसने अवेलेबल हथियारों से ही बाकायदा उग्रवादियों

को या तो एन्काउन्टर में मारा है या उनको पकड़ा है। कोई भी उग्रवादी ऐसा नहीं छोड़ा है जो या पकड़ा न गया हो या मारा न गया हो। मेरा कहना यह है कि हथियार बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छी हालत में हैं। हमारे जवान भी उसका मुकाबला करने के लिये तैयार है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंहः मंत्री महोदय ने पुलिस ने आतंकवादियों से निपटने के लिये क्या किया है, यह बताया है। जो सूचना सदन के पटल पर रखी गयी है उससे और मुख्यमंत्री महोदय ने जो जानकारी आतंकवादी की गतिविधियों के बारे में दी थी उससे यह पता चलता है कि ये काफी हद तक बढ़ने की कोशिश में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये सरकार ने क्या इन्तजाम किय हैं? हथियार भी चाहियें और गाड़ियां भी चाहियें, यह ठीक बात है लेकिन क्या इन्होंने इसके लिये कोई स्पैशल सक्वैड वगैरह बनाने का इन्तजाम किया है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा हरियाणा में न हो सकें, अगर नहीं किया है तो क्या मंत्री महोदय इन्तजाम करने का कोई आश्वासन देंगे?

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, कल इसी सवाल के सम्बन्ध में एक काल अटैन्शन मोशन था और आदरणीय मुख्यंमंत्री जी ने बहुत विस्तार के साथ सारी बातें जवाब में बताई थीं। इन्होंने कहा है कि आतंक की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ने की कोई बात नहीं है। जो यहां पर थोड़ी बहुत घटनाएं हुई हैं ये पंजाब की फाल आउट के कारण हुई हैं।

आप खुद जानते हैं कि पंजाब में सैन्टर की सरकार है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह सबको पता है और हरियाणा में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हरियाणा के अन्दर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई अपराधी मारा न गया हो या पकड़ा न गया हो। अध्यक्ष महोदय, हमरे मुख्यमंत्री और हरियणा सरकार इस बात से चिन्तित थी कि इस तरह की घटनाएं हरियाणा में नहीं होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को जीप, मोटर–साईकित और हथियार खरीदने के लिए एक करोड़ का बजट दिया है। मैं तो महेन्द्र प्रताव सिंह को कहना चाहता हूं कि वे अपनी गुड औफिसिज का इस्तेमाल करें और जो हथियारों की डिलिवरी में डिले हो रही है उन हथियारों को आप जल्दी दिलवाएं।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, कल ध्यानाकर्शण प्रस्ताव का जवाब देते हुए सदन में बताया गया था कि दरियापुर में जिन आतंकवादियों ने निर्दोश लोगों को मारा था उनको हमारी पुलिस के नौजवानों ने पंजाब में घुसकर पकड़ा था। मैं मुख्यमंत्री जी को और गृहमंत्री जी को विशेश रूप से कहना चाहता हूं कि पुलिस के उन लोगों को शाबाशी दें। मैं गृहमंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जिन आतंकवादियों ने दरियापुर में निर्दोश लोगों की हत्या की उन लोगों को जिन पुलिस वालों ने पकड़ा है क्या उनको सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया जाएगा?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जिन लोगों ने उन आतंकवादियों को पकड़ा है उनको बाकायदा तौर पर सम्मानित

किया गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोग पकड़ने गए थे उन सभी को किसी को हैड कांस्टेबल, किसी को ए.एस. आई. किसी को इंस्पैक्टर और डी.एस.पी. बनाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी पुलिस ने दिल्ली को बचाया है। पिछले दिनों एक ट्रक जा रहा था। हमारी पुलिस ने अम्बाला के पास उसको पकड़ा। वह ट्रक हथियार लेकर दिल्ली में इस्तेमाल होने थे। इस तरह से हमारी पुलिस ने दिल्ली को बचाया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में आज तक जितने भी कांड हुए हैं उनके किसी अपराधी को वहां की पुलिस ने नहीं पकड़ा है जबकि वहां पर सैन्टर की सरकार है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाए।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और हरियाणा पुलिस को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के असहयोग के बावजूद आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए हरियाणा के अच्छा काम हुआ है। साथ ही मैं एक घटना ग ृहमंत्री के नोटिस में लाना चाहता हूं। पिछले दिनों यमुनानगर जगाधरी के पास ऐन्टी टैरोरिस्ट ऐक्शन में पुलिस ने मोटर साईकित पर जा रहे दो छात्रों का पीछा किया और उन्हें रोककर उन पर गोली चलाई। उनमें से एक की

मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जनसाधारण द्वारा इस बात की पुश्टि की गई कि वे व्यक्ति टैरोरिस्ट नहीं थे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस घटना के बारे में कोई छानबीन की गई और दोशियों के विरूद्ध क्या ऐक्शन लिया गया?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि कोई भी निर्दोश व्यक्ति ऐन्टी टैरोरिस्ट ऐक्टीविटीज में नहीं मारा जाना चाहिए। रघु यादव जी ने ठीक कहा है। हुड्डा गांव के पास पिछले दिनों यह इंसीडैन्ट हुआ था। बाकायदा 302 के तहत केस रजिस्टर हुआ था ओर वह कोर्ट में चल रहा है। महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे समय में कुछ नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय, ट्रांजिस्टर बम्ब कांड इन्हीं के समय में हुआ था और कोई भी आदमी नहीं पकड़ा गया। आपने देखा होगा कि उस समय पानीपत में कितने लोग मारे गऐ और कई जगहों पर निर्दोश लोगों की हत्या की गई। मैं आदरणीय चौ. देवी लाल को बधाई देना चाहता हूं कि जो भी हरियाणा में कांड हुए उनके सभी लोगों को गिरफतार कर लिया गया या उनको मार दिया गया। हर आदमी ने चाहे वह सरकारी कर्मचारी था चाहे दुकानदार था या कोई और आदमी था, अपना सहयोग दिया। यह सिर्फ चौ. देवी लाल जी के सैकुलर इमेज के कारण सम्भव हो सका है। जितने भी कांड हुए उनके बाद हरियाणा में कोई और घटना नहीं हुई। फतेहाबाद में कुछ शरारती लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की लेकिन हमारी सरकार ने फौरन ही उस पर काबू पा लिया और हमारे मुख्यमंत्री

ने लूटी हुई प्रौपर्टी बाकायदा उन लोगों को वापिस दिलाई है। स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान में यह पहली मिसाल है कि लूटी हुई प्रौपर्टी को लोगों को वापिस किया गया था। यहां किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हं कि क्या मेरे मारे जाने के बाद ही यह सरकार हरकत में आएगी। (शोर)

(At this stage, some members rose to ask supplementary questions.)

Mr. Speaker: Hon. Members, sufficient time has already been taken on this questiion. I will not permit any-body to raise any more supplementary on this question. Next question.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह तो बड़ा ही आवश्यकत मसला है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, आप बैठिये। कल इस पर काल अटैन्शन मोशन के जरिये काफी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है।

I have already called upon th next question.

आवाजें: स्पीकर साहब, इसके लिये और समय चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Nothing more will be recorded on this question, and I am not going to permit any body to raise any more supplementary on this question now. Next question.

Pension to Widows and Handicapped Persons

***566.@ Sh. Kailash Chand Sharma, Sh. Raghu Yadav**: Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state –

(a) the number of applications received from the widows and handicapped persons in district Mohindergarh for the grant of pension, separately, during the period from 1st November 1987 to 31st July, 1988;

(b) the number of cases, out of those are referred to in part (a) above, in which such pension has been sanctioned and disbursed togetherwith the amount thereof; and

(c) whether while granting such pension to a widon, her montly income from other sources, if any, is taken into account, if so, the limit thereof?

जेल राज्य मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा):

(क) 3628 तथा 1137 आवेदन–पत्र क्रमशः विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों से प्राप्त हुए थे।

(ख) 3250 विधवाओं तथा 916 विकलागों को पैंशन स्वीकृत की गई है। 19032 रूपये 123 विधवाओं तथा 19968 रूपये 96 विकलांग व्यक्तियों में बतौर पैंशन वितरित किये गये हैं।

(ग) हां। 50 रूपये मासिक।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो विधवाओं के लिये 50 रूपये मासिक आय की सीमा निर्धारित की गयी है, उसको क्या मंत्री महेादय ऐसा अनुभव नहीं करते कि आजकल के जमाने में यह राशि कुछ भी नहीं है? 50 रूपये तो एक मजदूर भी रोज के कमा लेता है। क्या सरकार इस राशि के मुताल्लिक दोबारा विचार करेगी कि इस राशि को कम से कम दोगुना कर दिया जाए?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर सर, माननीय सदस्य ठीक कर रहे हैं कि 50 रूपये मासिक इंकम की लिमिट बहुत कम है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन विधवाओं के पास एक या दो एकड़ भूमि है, उनको पैन्शन क्यों नहीं मिल रही है? क्या एक विधवा एक या दो एकड़ भूमि से अपने बाल बच्चों को पाल सकती है? क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करेगी कि पैन्शन सभी विधवाओं को मिलनी चाहिए?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने ठीक बात कही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि वह एक या दो एकड़ भूमि यदि ऐसी हो जिससे 50 रूपया महीना भी मासिक

इंकम न होती हो तो ऐस केसिज में पैन्शन दी जा सकती है और दी भी जा रही है।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1 जनवरी, 1987 को राज्य में कुल कितनी विधवाओं और अपंगों को कुल कितनी पैन्शन मिल रही थी और 1 जनवरी 1988 को राज्य में कुल कितनी विधवाओं और अपंगों को कुछ कितनी पैन्शन दी जा रही थी?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर सर, इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया था। इसके लिये आनरेबल मैम्बर अलग से नोटिस दें तो मैं उनको सारी सूचना ब्यौरे के साथ भिजवा दूंगा।

श्री शिव प्रशाद: अध्यक्ष महोदय, इस समय हरियाणा के अन्दर वृद्धा पैन्शन 100 रूपया मासिक के हिसाब से दी जा रही है। क्या सरकार उसी प्रकार विधवाओं की पैन्शन भी बढ़ा कर कम से कम 100 रूपया मासिक करने का विचार रखती है?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर सर, जो विधवाओं को पैंशन दी जाती है उसके लिये हमने एक क्राईटेरिया फिक्स किया हुआ है कि 18 साल से 65 साल तक 50 रूपया मासिक पैन्शन दी जाएगी और 65 साल से ऊपर 100 रूपया मासिक के हिसाब से पैन्शन मिलेगी।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न के 'ग' भाग के उत्तर में लिखा है कि विधवा

की आय सीमा 50 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दी गई है। मंत्री जी ने अभी बताया कि 50 रूपए की राशि को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। यह जो आय सीमा 5500 रूपए तक बढ़ाने जा रहे हैं इसके बारे में जरा स्पश्ट कर दें?

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि 50 रूपए मासिक पैन्शन बहुत कम है। जहां तक मुझे स्मरण है ऐसी कोई प्रपोजल है कि इसको 50 रूपये से बढ़ाकर 75 रूपए कर दिया जाए। वह प्रपोजल जल्दी ही स्वीकृत की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के आदेश से इसको 50 रूपए से बढ़ाकर 75 रूपए कर दिया जाएगा।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बुढ़ापा पैन्शन 100 रूपए महीना दी गई है ओर उसमें कोई आमदनी की शर्त नहीं रखी गई है और न ही जमीन की शर्त रखी गई है केवल इंकम टैक्स की शर्त रखी गई है कि वह आदमी इंकम टैक्स पे न करता हो। विधवाओं के साथ बच्चे भी होते हैं लेकिन उनकी पैन्शन केवल 50 रूपए रखी गई है और अब उसे 75 रूपए करने की बात कही गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया गया है? इनकी पैन्शन भी 100 रूपए महीना से कम नहीं होनी चाहिए।

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम 75 रूपऐ तक बढ़ा रहे हैं। जब स्थिति और अच्छी हो जाएगी तो और बढ़ाने पर विचार कर लेंगे।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न दोबारा पूछना चाहता हूं। मैंने आय सीमा के बारे में पूछा था। जवाब में लिखा है कि उसे 5500 रूपए कर दिया गया है इसके बारे में मंत्री जी जरा स्पश्ट कर दें।

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, वह बता दिया गया है कि अभी 500 रूपए महीना दिए जा रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए विचार जल्दी किया जा रहा है। उप–मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है कि वह विचाराधीन हे।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर साहब, अकसर कई बार देखा जाता है कि कुछ विकलांग लोग कभी सी.एम.ओ. और कभी डिस्पैंसरीज के चक्कर काटते रहते हैं कि उन्हें विकलांग घोशित किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि विकलांग घोशित करने का क्या क्राइटेरिया है? कया उसमें परसैंटेज वगैरह तय की जाती है?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, वैसे कटारिया साहब ने मेरे हैल्थ मिनिस्टर का सवाल पूछ लिया है लेकिन जहां तक क्राइटेरिया की बात है, सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट जो विधवाओं और विकलांगों को पैन्शन देता है उसमें 70 प्रतिशत विकलांग का सर्टिफिकेट जरूरी है जो हैल्थ डिपार्टमैंट ने देना होता है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि एक विधवा को प्रार्थना पत्र देने के बाद पैन्शन प्राप्त करने में अधिक से अधिक कितनी देर इंतजार करना पड़ता है?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, पुराने सिस्टम के अनुसार विकलांगों और विधवाओं को बड़ी भारी दिक्कत थी। पुराने टाइम में बहुत थोड़े लोगों को सिफारिश के तौर पर या धक्के खाने के बाद पैन्शन मिलती थी। अब जो अप्रैल, मई, जून, में सिस्टम बना है इसके तहत इन्क्वायरी की जाती है कि और पैन्शन लेने वाले को सामने बुलाया जाता है। गउंव में एस.पी.ओ. बी.डी.ओ. तथा एक आदमी डी.सी. का जाता है। इसी तरह से शहरों में सी.ओ. और ई.ओ. तथा यहां से एक सैक्रेटरी जाता है जो वार्डज में जाकर चैक करते हैं। उसके बाद तीन महीने में उनके घर पैन्शन पहुंच जाती है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, अभी इन्होंने कहा कि इस पैन्शन को बढ़ा कर 75 रूपये महीनो कर देंगे। लेकिन जवाब में लिखा है कि इसकी आय सीमा 5500 रूपए कर दी गई है। यह बात क्लीयर नहीं है?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, उसके लिए मामला अभी विचाराधीन है जो ये 5500/– इंकम की बात कह रहे हैं यह गलती से लिखी गई होगी। मेरे पास जो जवाब है उसमें यह फिग्गर नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'ग' भाग में यह पूछा गया था कि एक विधवा को ऐसी पैंशन स्वीकृत करते समय उसकी अन्य स्त्रोतों से होने वाली मासिक आय यदि कोई हो, ध्यान में रखी जाती है, यदि हां तो उसकी सीमा क्या है? उसके जवाब में लिखा गया है कि आय सीमा को 5500 रूप्ये कर दिया गया है। यह बात स्पश्ट नहीं है?

श्री नर सिंह ढांडा: यह फिग्र मैरे पास नहीं है। जो मेरे पास सूचना है। उसके मुताबिक मैं ठीक बता रहा हूं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पैंशन देने का जो क्रांतिकारी कदम उठाया, क्या उसकी प्रशंसा में हमारे कांग्रेसी भाईयों ने मंत्री जी को कोई पत्र लिया है?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, कांग्रेसी भाईयों ने मुझे ऐसा कोई प, नहीं लिखा।

श्री बनारसी दास गुप्त: स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने जो 5500 रूपए आय सीमा के बारे में पूछा है, वह फिग्गर शायद सही नहीं है मिसप्रिंट हुई है।

डा. बृज मोहन: स्पीकर साहब, अप्रैल के महीने में जो वृद्धावस्था पैंशन के फार्म भरे गए थे वह एक महीने की पैंशन मिल गई है बाकी समय की पैंशन वृद्ध लोगों को नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बाकी समय

की पैंशन वृद्ध लोगों को कब तक पहुंच जाएगी क्योंकि हमारे से वृद्ध लोग आकर पूछते हैं कि हमारी एक ही महीने की पैंशन आई है बाकी नहीं आई है तब कब आ जाएगी?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, तीन–तीन किस्तें तकरीबन हर जगह भेजी जा चुकी हैं। 17 जून, 1987 से 31 जुलाई 1987 तक के 146 रूपये पैंशन के भेजे गए। इसी तरह से अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर तीन महीने की पैंशन के 300 रूपए और इसी तरह से नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के 400 रूपए भेज दिए गए। जिन लोगों को वृद्धावस्था पैंशन की किस्त नहीं पहुंची है या तो वे ऐलीजिबल नहीं होंगे या फिर वे सक्रूटनी कमेटी के सामने नहीं गए होंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डाकखाने की सर्विस की कमी की वजह से उनको पैंशन की किस्म नहीं पहुंची होगी। पैंशन किसी की कैंसिल नहीं की गई। जिस किसी की पैंशन कैंसिल की जाती है उससे पहले कंसर्न्ड आदमी के पास बाकायदा नोटिस भेजा जाता है और यदि उस नोटिस का जवाब सैटिसफैक्टरी दे दिया जाता है तो उसको पैन्शन दे दी जाती है।

श्री सरदूल सिंह: स्पीकर साहब, जब हम गांवों में जाते हैं, तो 75 वर्श स लेकर 85 वर्श के बूढों की हमारे सामने लाईन लग जाती है और वे हमें लेकर हैं कि एक किस्त मिलने के बाद उन्हें उनकी पैंशन नहीं आई है तथा पूछते हैं कि वह कब तक आ जाएगी? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम उन बूढ़े लोगों

को क्या जवाब दें? कया उनकी पैंशन कैंसिल कर दी गई हैं या उनको मिलेगी?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, पैंशन किसी की भी कैंसिल नहीं की गई है। इसमें ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को पैंशन नहीं मिली है शायद वे सक्रूटनी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए होंगे जो गांवों में जाकर इन्क्वायरी करती है। यदि वे उस कमेटी के सामने पेश नहीं भी हुई होंगे तो भी उनकी पैंशन कैंसिल नहीं की गई है। पैंशन कैंसिल करने से पहले कंसर्न्ड आदमी के पास बाकायदा नोटिस जाता है और यदि उस नोटिस का जवाब सैटिसफैक्टरी दे दिया जाता है तो उसको पैंशन पहुंच जाएगी।

श्री भाग मल: स्पीकर साहब, जो विकलांग हैं उनको विकलांग का सर्टिफिकेट लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है और कई–कई विकलांग तो ऐसे होते है। जिनको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के होस्पीटल में ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विकलांगों को विकलांग सर्टिफिकेट लेने के लिए उनके नजदीक क ही होस्पीटल से सर्टिफिकेट ईशू करवाने का इन्तजाम करवाएंगे?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा): ऐसा पहले ही कर दिया गया है। एक दिन तक कर जिला अधिकारी तहसील स्तर पर जाकर अस्पताल में अपंग व्यक्तियों को देखते हैं।

श्री जगपाल सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, सवल के पार्ट (सी) के जवाब में लिखा गया है कि –

"The income ceiling of the widow has now been raised from Rs. 50/- per month to Rs. 5500 per annum".

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब आप बैठें। इस बारे में उप–मुख्य मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि यह ठीक नहीं है। जो जवाब मिनिस्टर साहब ने ओरली दिया है, वह ठीक है।

10.00 बजे

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि जो वृद्धावस्था पैन्शन गांवों में बांटी जाती है उसके बारे में ऐसी शिकातयें मिली हैं कि जो डाकिए हैं, वे पैंशन देने के बदले उनसे 5, 7, या 10 रूपये पर–मनिआर्डर के हिसाब से लेते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोगों की शिकायतें सरकार के नोटिस में आई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, ऐसी एक–दो शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें विभाग को भेज दी गई हैं। इन

पर विभाग तहकीकात कर रहा है और उनकी पूरी जांच हो रही है।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो वृद्धों, विधवाओं और अपंगों को पैंशन पोस्ट आफिसों के माध्यम से दी जा रही है क्या इस पैन्शन को पोस्ट आफिस से देने की बजाये जो हमारी 2200 के करीब सहकारी समितियां हैं, उनके माध्यम से दिए जाने पर विचार करेंगे? दूसरा मेरा सवाल यह है कि विधवाओं को जो पैन्शन दी जा रही है क्या उसके लिए आय की कुछ सीमा निर्धारित की हुई हैं? मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चाहे कोई विधवा आर्थिक दृश्टि से सम्पन्न है या कमजोर उसकी हमारे समाज में बुरी दशा है। क्या उसको पैन्शन दिए जाने के लिए आय सीमा बिल्कुल समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्रू ने ठीक सवाल पूछा है मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसी पैन्शन देने के लिए को–आप्रेटिव बैंकस से और दूसरे नेशनलाईजड बैंकस के जरिए देने के मामले को वर्क–आउट कर रहे हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट भी दी है। हम इस मामले को पूरी तरह सक वर्क आउट करने के बाद, बाद में इस बारे में बता देंगे। जहां तक विधवाओं को पैन्शन दिए जाने की आय सीमा हटाने का सवाल है, इस पर विचार कर लिया जायेगा।

चौ. किशन सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, उन बच्चों को हैण्डीकैप्ड की पैन्शन दी जा रही है जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे उन्हें हैण्डीकैप्ड की पैन्शन नहीं जा रहे हैं क्या उन्हें भी सरकार हैण्डीकैप्ड की पैन्शन देने पर विचार करेंगी?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि जिन हैण्डीकैप्ड बच्चों को स्कूलों में पैसे दिए जा रहे हैं वे पैन्शन के नहीं हैं बल्कि उन्हें स्कौलरशिप दिया जा रहा है। जो हैण्डीकैप्ड बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे उन्हें इसलिए कोई पैन्शन नहीं दी जा रही क्योंकि 18 या 21 साल तक यानी बालिग होने तक वे अपने मां–बाप पर आश्रित होते हैं। फिलहाल इन्हें पैंशन दिए जाने बारे कोई मामाल सरकार के विचारधीन नहीं है।

श्री हजार चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कई ऐसे व्यक्ति और औरतें हैं जो बुढ़ापे की भी पैन्शन ले रहे हैं और जो कोई दूसरी पैन्शन उन्हें पहले मिल रही है, वह भी ले रहे हैं। क्या यह बात सरकार के नोटिस में हैं, यदि है तो उस पर क्या ऐक्शन लिया जा रहा है?

श्री नर सिंह ढांडा: मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं लाई गई। है। यदि ऐसी कोई बात नोटिस में आएगी तो उसकी जरूर इन्क्वायरी करेंगे।

Construction of New Roads

***588. Sh. Mani Ram, Dr. Grij Mohan**: Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state –

(a) whether any new roads have been constructed in the State since the formation of the present Government to-date; if so, the names of these roads District-wise and length of each road separately; and

(b) the number of new villages which have been connected with link roads in the State?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) Yes, the information at Annexure 'A' is placed on the Table of the House.

(b) Seven number new directory villages have been connected during the said period as per Annexure 'B' .

ANNXURE-A

Abstract showing the districtwise details of roads completed during the regime of present Government i.e. from 20th June 1987 to 31st July 1988.

Sr.	Name of	No. of	Total	Metalling	Villages connected

No.	District	roads constructed during the period from 20.6.87. to 31.7.88	length of the road in Kms.	done during the period 20-6-87 to 31-7-88 (in Kms.)		
1	Ambala	21	17.23	16.04	Sabhapur Mianpur	2Nos.
2	Bhiwani	12	18.20	3.30	-	
3	Faridabad	9	23.67	7.19	BhagpurKalan Ladiaka Hadayatpur	3Nos.
4	Gurgaon	14	27.81	15.41	Dubalu Khori	2Nos.
5	Hisar	18	43.19	19.89	-	
6	Jind	5	12.92	11.62	-	
7	Karnal	9	18.95	5.33	-	
8	Kurukshetra	14	30.69	18.99	-	
9	Mohindergarh	6	10.43	2.13	-	
10	Rohtak	24	56.61	22.08	-	
11	Sonipat	10	32.28	12.95	-	

12	Sirsa	6	13.73	12.43	-	
	Total	148 Nos.	305.71 Kms.	147.36 Kms.	7Nos. Villages as above	

AMBALA DISTRICT

Sr. No.	Name of road	Length (Km.)	A/A amount (in lacs)	Date	Metalling done 20-6-87 to 31-7-88 (Km.)
1	2	3	4	5	6
	Kalka				
1	Barwala to bataur	1.27	2.24	28.6.82	0.70
	Naraingath				
1	Rampur to Punjewala	0.57	6.83		0.57
	Sadhaura				
1	Machhrauli Babsewala road to Mainpur	0.65	9.95	22.6.82	0.70
	Chhachhrauli				
1	Jai Pampur Khalsa to	0.56	3.10	30.4.82	0.06

	Alipur				
	Jagadhri				
1	L/R Muradpur to Tarpur	0.52	1.35	28.3.87	1.35
2	G.P.S. Ram Nagar	1.11	3.16	28.8.86	1.11
3	G.P.S. Sergarh	0.08	0.19	Do	0.08
	Total	1.71	4.70		2.54
	Mulana				
1	H.B. Chudiala	0.73	2.06		0.73
2	H.B. Taba	0.62	1.76	12.8.86	0.62
3	Foska to Bajigar Basti	2.08	5.82	15.7.86	2.08
4	H.B. Zaferpur	2.60	7.19	12.8.86	2.60
5	Gola to Shadupur	3.10	11.94	21.5.87	2.10
	Total	9.13	28.77		8.13
	Nangal				
1	H.B. Chandpura	0.12	0.32	24.3.87	0.12
2	H.B. Babaill with link to Gurudwara	0.63	2.41	Do	0.63
3	Burga Nagar to Radha Swami Mandir	0.44	0.83	Do	0.44

4	Khana Majra to School	0.30	0.80		0.30
5	Rly. x-to School building via circular road Shahpur	0.60	2.40	16.9.84	0.60
6	Dola Majra to H.B. and Mandir	0.35			0.35
7	Lalyana Panchayat Ghar to H.B. Lalyana	0.13	0.30	14.3.87	0.13
8	P.S. Rawlan	0.70			0.70
9	Pinjola Panchayat Ghar	0.07	0.23	14.3.87	0.07
	Total	3.34	6.97		3.34
	G. Total	17.23	62.56		16.04
	BHIWANI DISTRICT				
	Bhiwani				
1	Link road to School Vill. Bhareru	0.40			0.40
2	Link road to School Vill. Rupgarh	0.50			0.50
3	Link road to School Vill. Pahaladgarh	0.27			0.27
	Total	1.17			1.17

	Bawani Khera				
1	Link road to Vill. Pur	0.20			0.20
	Tosham				
1	Bhani Mahu to Simliwas via dhani Bahal Bana (Dhani Baignpura)	6.20	15.66		0.20
2	L/R to Bhusan School	0.06			0.06
	Total				
	Badhra				
1	Extension of School app. road upto school at Vill pur.	0.23			0.23
2	Dhaigawa Shamyana to Khari.	3.78	4.31	17.11.82	0.28
3	Ext. of Land app. road	0.09			0.09
	Total	4.00	4.31		0.60
	Mundhal				
1	Malpas to Malpas School	0.30	0.81	30.9.86	0.30
2	Dadesra to Sirsa	6.00	12.72		0.50
	Total	6.30	13.53		0.80

	Loharu				
1	GHS Pahari to Nekipur	0.27	0.43	18.8.86	0.27
	G. Total	18.20	33.93		3.30
FARIDABAD DISTRICT					
1	Bamnola Jogi to Tikri Brahman	4.00	5.93		1.00
2	Banchari to Kakora	1.80	6.41		0.12
3	Alalpur Kalwaka Sec. Dudhlla Kalwaka	8.85	16.03	28.3.71	0.15
4	Bahin to Manpur	2.80	5.93		2.80
	Total	17.45	34.03		4.07
	Hassan pur				
1	Nangal Brahman to Rasulpur	2.40	407	11.2.81	0.30
2	Gulawad to Khanpur via Norangabad	0.91	5.29	6.1.83	0.91
	Total	3.31	9.36		1.21
	Meola Maharajpur				
1	Suraj Kund (Parking) Road leading to shooting range	0.30	2.38	15.10.87	0.30

2	Tripat to Sant Baba Surdas	0.16	0.27	12.12.84	0.16
	Total	0.46	2.65		0.46
	Palwal				
1	Chhaju Nagar to Mohirgarhi	2.45	5.08	14.10.83	1.45
	G. Total	23.67	51.12		7.19
GURGAON DISTRICT					
	Gurgaon				
1	Gurgaon Faruk Nagar road to Kherki Majra	2.00	5.84	10.3.84	2.00
	Ferozepur Zhirka				
1	Bibipur to Nawal Garh	2.20	3.39		1.20
	Sohna				
1	Mohmadpur to Dhani Ram Sawrup	1.59	2.81	6.1.81	2.15
2	Sohna Damdama to Harchandpur via Daila	4.07	7.39	1.9.80	1.56
3	Baikhera to Khari Lala	2.10	4.91	10.12.82	0.25
	Total	7.76	15.11		1.96
	Patudi				

1	Farrukh Nagar to Dhani Chand Nagar	3.75	6.91	31.10.83	0.75
2	Karola to Dhani Ahiran	2.80	6.90	10.11.82	0.20
	Total	6.555	13.81		0.95
	Nuh				
1	Nuh Mohmadpur to Kheri Nuh	1.00	1.83	14.1.85	1.00
2	Bhadas Ghaggar to Shahpur	0.82	1.46		0.82
3	Kahguli to Sultan	0.86	1.48	25.5.85	0.86
	Total	2.68	4.77		2.86
	Taoru				
1	Sohna Mallias road Dublu	0.90	1.69	13.10.83	0.90
2	Tarou Bhogipur road to Nai Nangal	0.32	0.99		0.32
3	Taoru Sarai road to Dawapur Dhani	1.40	3.61	3.9.83	1.40
4	Tarou Byepass	4.00	14.37	8.9.83	4.00
	Total	6.62	20.66		6.62
	G. Total	27.81	63.63		15.41

HISAR DISTRICT					
	Hansi				
1	Hansi Puthi Nangal Khan Gujran	0.27	0.85	4.14.83	0.27
2	L/R to Dhani Thakriayan	0.36	0.67		0.36
	Total	0.63	1.52		0.63
	Tohana				
1	Samain to Laloda	5.90	12.49	26.7.83	2.90
2	Dheer to Dheer School	0.48	1.12	10.10.85	0.48
	Total	6.38	13.61		3.83
	Adampur				
1	Rawalwas Khurd to Hindwan	3.75	8.15	26.8.82	0.29
2	Barra abadi to Barra School	0.30	0.70	25.7.82	0.30
3	L/R to Vety. Hospital Panipar Chowk	0.30	0.65	30.5.83	0.30
4	L/R to Vety. Hospital Mattersham	0.21	0.44	10.10.85	0.21
	Total	4.56	9.94		1.10

	Narnaund				
1	Moth to Dhari Kamahran	2.30	4.67	21.8.80	0.40
	Hisar				
1	Talwandi Rana to Dhani Baran	5.85	13.70		4.00
	Fatehbad				
1	Ahrawan to Dhani Puriwali	2.70	5.40	4.1.83	0.70
2	Ratia Fatehabad to Dhani Hamjapur	1.17	3.55	21.2.84	0.47
3	Kajalberi to Khajuri Jatti	4.90	8.77		3.00
	Total	8.77	17.52		4.17
	Ratia				
1	Ratia Rori Road to Dhani Dadupur	1.11	2.20	31.8.81	1.11
	Bhattu Kalan				
1	D.H.S. road to H. Chopal Khurakheri	0.15	0.32	15.5.86	0.15
2	Nehla to Sabaweewas via Siwani	6.09	15.58	1.3.78	0.60

	Total	6.24	15.90		0.75
	Bawani Khera				
1	Payal to Chanunal	2.05	3.73	22.5.86	2.05
2	Bullawas to Moojalpur	5.30	10.20	30.5.86	2.30
	Total	7.35	13.93		4.35
	G. Total	43.19	92.99		19.89
JIND DISTRICT					
	Jind				
1	Barah Kalan to khark Ramji via Nirankar Mandir	3.32	9.16	30.11.83	3.32
2	Rly. Station Pindara to Holy tank Pindara	0.80	1.16	11.2.81	0.35
3	Siwaha Rly. Station to Siwaha	0.95	2.47	30.11.83	0.95
	Total	5.07	12.79		4.62
	Uchana				
1	Sainthli to Litani	3.00	6.87	6.10.83	3.00
	Safidon				
1	Dharoli to Gabgoli	4.85	8.67	7.3.80	4.00

	G. Total	12.92	28.33		11.62
KARNAL DISTRICT					
	Indri				
1	Nawal to MNawal Khurd	2.34	6.49	4.1.83	0.34
2	Shekhupura to Sikri Rd.	2.40	3.27	13.9.78	0.20
3	Kunjpura to Shangbad	4.60	6.75		0.40
4	Umarpur to Umarpur School	0.36	0.97	7.5.86	0.36
	Total	9.70	17.48		1.30
	Nilokheri				
1	Bhola Khalsa to Bholi	0.92		4.1.88	0.92
2	Shandhir to Sanderpur	1.40	3.40	4.1.83	0.20
	Total	2.32	3.40		1.12
	Karnal				
1	Kamalupur to Kachwa	3.40	9.36	4.4.84	2.40
	Jundla				
1	Gogipur Pinli road	3.27	2.84	13.9.78	0.25
2	Brass Sitamali to Ramgarh	0.26	0.83	4.1.83	0.26

	Total	3.53	3.67		0.51
	G. Total	18.95	33.91		5.33
KURUKSHETRA DISTRICT					
	Shahbad				
1	Ghanarthal to Saraisukhi	3.84	10.24		0.80
2	MTJ road to Katwa Mugal Majra	1.40	3.65		1.40
3	Thaska Miranji to Nurpur Buchi	1.23	4.07		1.23
	Total	6.47	17.96		3.47
	Pundri				
1	Pundi Dhond road to Dera Kamboj	3.47	8.44	18.5.85	3.47
2	Batherirum to Dera Rajigarh	0.65	2.66	4.1.83	0.65
3	Pndri Habri road to Dera Ajaib Singh	2.47	6.76		2.47
4	Pundri Habri road to Dera Malianwala	2.70	7.30		2.70
5	Teontha to Habri	7.50	21.48		2.00

	*Total	16.79	46.64		11.29
	Gulha				
1	Poswal Kharka to Ghhota and New Poswal	2.30	5.57	12.1.84	1.30
2	App. road to Mundi Kalan	0.30	0.91	1.5.86	030
	Total	2.60	6.48		1.60
	Thanesar				
1	Kirmach road to Salarpur	1.45	7.98	13.7.87	1.45
2	T.P. Road Km. to Officers office	0.14			0.14
	Total	1.59	7.98		1.59
	Radaur				
1	Dhanai to Sunarain	3.04	16.66		0.84
	Kaithal				
1	Manas Budha Khera road to Dera Gadli	0.20	0.62		0.20
	G. Total	30.69	95.84		18.99
MOHINDERGARH DISTRICT					
	Mohindergarh				

1	D.M. to Dhani Akoda	0.18	0.75	5.1.83	0.18
	Jatusana				
1	Uncha Majra to Dhani Jawarat	1.85	3.38	29.4.82	0.10
2	Siha to Masit	2.10	7.43		0.05
	Total	3.95	10.81		0.15
	Bawal				
1	Nangal Taju to Dhani	1.70	1.79	26.3.80	0.20
2	Subasheri to Dulhera Kalan	2.30	3.86	1.8.84	1.20
	Total	4.00	5.65		1.40
	Narnaul				
1	Thanwas Nayana	2.30	3.31	15.3.83	0.40
	G. Total	10.43	20.52		2.13
ROHTAK DISTRICT					
	Hassangarh				
1	Dobha Byepass	1.50	5.44		1.50
2	Samchana Mandir to Nag Devta Mandir	0.20	0.50		0.20
3	G.H.s. (G) to DHS road	0.30	0.89	16.11.87	0.30

	Ismila				
4	Ext. of Ismila Rly. Stn. to DHS road	0.23	0.68	Do	0.23
5	R.J.R. to GPS Maina	0.06	0.20	9.2.88	0.06
6	Sampla Chhara to Shiv Mandir Sampla	0.19	1.17		0.19
7	Sampla Khar Khoda to Shiv Mandir Sampla	0.20	0.20		0.20
	Total	2.68	8.89		2.68
	Kiloi				
1	Makraoli Kalan app. to Rly. Stn. road	1.07	2.62	22.7.87	1.07
	Meham				
1	Meham to Basana road	9.84	19.96	29.1.82	4.84
2	G.L.M.B. to Kheri Asharam	0.51	0.51	22.7.88	0.51
3	Madinna Ajaib to PHC Madian	0.51	1.39	Do	0.51
4	Nidhana to Samar Gopalpur	2.63	4.82	24.12.81	2.63
5	Bhaini Surajanpur to Bhaini Matu	236	3.87	28.8.80	236

6	DHS Chobsi Chabutra	0.23	0.69	27.7.87	0.23
	Total	16.08	31.24		11.08
	Kalanaur				
1	Kalanaur Rly. road	0.90	1.49		0.30
2	Bahuakbarpur to Smar-Gopalpur	6.97	12.36	0.1.80	0.05
	Total	7.87	13.85		0.35
	Jhajjar				
1	Constg. Kahri to Dhani Ghatol road	2.30		16.6.83	1.30
2	Kulanna to Koka	3.10	7.02	14.11.83	1.10
3	Sita Ram Ghat to Shamasan Ghat Jhajjar	0.71	1.71	26.9.80	0.71
	Total	6.11	8.73		3.11
	Badli				
1	Constgg. Yakubpur to Duman	1.28	3.20	7.2.79	1.28
2	Constg. Jhajjar Badli road to Kheri Jat	3.30			0.70
	Total	4.58	3.20		1.98
	Sahlawas				

1	Garhi to Bishowa	5.04		20.2.87	0.04
2	Mattain hail to Nimlee	5.28		14.11.83	1.60
3	Behror to Dhilauwas	7.90		31.382	0.17
	Total	18.22			1.81
	G. Total	56.61	68.53		22.08
SONEPAT DISTRICT					
	Kailana				
1	Dabarpur Mohara Sitawali road to Sonepat Purkhas	0.85	2.57	30.1.85	0.07
2	Purkhas to Agwanpur	4.20	13.64	23.11.84	4.20
3	Ganaur Kheri Gujjjar	4.90	12.41	30.1.85	4.90
4	Sanpera to Ram Nagar	2.19	4.05	30.3.79	0.44
5	Bhigan Kammi	3.17	6.46	7.6.80	1.17
6	Bali Kutabpur to Ahulala	1.68	3.98	24.9.85	0.68
7	App. road to GHS Bhigan	0.71	1.92	14.10.80	0.10
	Total	17.70	45.03		11.56
	Rohat				

1	Nandpur to Naibsodi	4.43	5.81	7.2.87	0.70
2	R.K.D.S. Road to gopalpur	1.80	1.44		0.40
	Total	6.23	7.25		1.10
	Gohana				
1	Kahanpur Kalan to Baju Kalan	8.35	12.89	21.8.89	0.29
	G. Total	32.28	65.17		12.95
SIRSA DISTRICT					
	Ellanabad				
1	SDRD road to Narain Singh Ther.	3.00	6.59	4.1.83	3.00
2	Abhohli to Damera Theri	3.45	8.12	12.1.83	2.15
3	Harni Khurd to Dhani Sentokpura	0.33	0.99	18.11.83	0.33
	Total	6.78	15.70		5.48
	Sirsa				
1	Khairekan to Dhani Kheowali	5.00	9.80	15.11.85	5.00
2	S.D.R.D. road to Dhani Jasu	0.33	0.99	18.11.83	0.33

	Total	5.33	10.79		5.33
	Darba Kalan				
1	Modia Khera to Dhani Kaluwali	1.62	3.55	4.1.83	1.62
	G. Total	13.73	30.04		12.43

ANNEXURE-B

List of Villages connected with Metalled Roads from 20-6-1987 to 31-7-88

Sr. No.	Name of road	Sanctioned length (km)	Name of village connected
	District Ambala		
1	Gola to village Sabahpur	3.40	Sabahpur
2	Machhroli Bansewala to Mainpur	0.72	Mainpur
	District Faridabad		
1	Monaghat (Patoon bridge to village Baghpur Kalan)	4.50	Baghpur Kalan
2	Bahmin Kheera to Ladiaka	5.58	Ladiaka, Hadayatpur

	District Gurgaon		
1	Sohna Mile 10 of Nub-Palwal road to Dubalu	0.90	Dubalu
2	Nuh Mohamadpur to Khori Nuh	1.00	Khori
	Total	16.10	7 Nos.

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के बनने के बाद 31.3.87 तक जो नई सड़कें बनाई गई हैं उनके बारे में इस जवाब को देखने से पता चलता है कि रोहतक जिले में ही सबसे ज्यादा नई सड़कें बनी हैं। रोहतक जिले की सड़कों की लम्बाई सबसे ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा रूपया भी रोहतक जिले में ही सड़कों पर खर्च किया गया है। रोहतक जिले के मुकाबले में फरीदाबाद जिले में सड़कों पर बहुत ही कम काम किया गया है, इसका क्या कारण है? दूसरे मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नई सड़कें बनाये जाने का क्या क्राईटेरिया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्राईटेरिया तो यही है कि हम उन सड़कों को सबसे पहले पूरी करने की कोशिश करते हैं जिन पर 70–75 या 80 प्रतिशत काम हो चुका होता है। जहां तक रोहतक जिले के अन्दर सबसे ज्यादा नई सड़कें बनाये जाने की बात है इस बारे में इन्हें बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि

रोहतक में पहले ही ऐसी सड़कों पर काम चला रहा हो जिनका काम 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक हो चुका हो और फरीदाबाद में ऐसी सड़कों पर काम न हो रहा हो। दूसरा कारण यह हो सकता है कि रोहतक जिला हमेशा से ही विपक्ष के लोगों को विधान सभा में भेजता रहा है जिसकी वजह से वहां पर कांग्रेस सरकार ने सड़कों का निर्माण कम किया हो। अब उस कमी को पूरा करना आवश्यक है।

श्री मनी राम: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल पूछा था कि मौजूदा सरकार के बनने के बाद कितनी सड़कें बनाई गइ हैं? जवाब में बताया गया है कि टोटल 305.73 किलोमीटर बनी हैं और सिरसा जिला में 13.73 किलोमीटर सड़कें बनी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिला सिरसा में कई गांव सड़कों से नहीं जोड़े गये हैं जैसे कासेड़ा से चौटाला 3–4 किलोमीटर और गौरीवाला गांव का दो किलोमीटर का टोटा नहीं बनाया गया है, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भविश्य में इन गावों को सड़काों से जोड़ा जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, हरियाणा प्रान्त में केवल 35 डायरैक्टरी विलेजिज, ऐसे हैं जो ऐलिजिबल हैं परन्तु जिनको, सड़क से नहीं जोड़ा गया है। 60 गांव ऐसे हैं जो डायरेक्टरी विलेजिज, तो हैं लेकिन ऐलिजिबल नहीं हैं। इन 95 गावों के अतिरिक्त राज्य में कोई ऐसा गांव नहीं है जो सड़क से न जोड़ा गया हो। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य डुप्लीकेट लिन्क की बात

कर रहे हैं। लेकिन जब तक पहला काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक यह काम नही हो सकता है।

श्री योगेश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सदन में दी गई है उस बारे में मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का भी क्राइटेरिया रखा गया है या कि कोई और किस्म का क्राईटीरिया रखा गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: शायद मेरे माननीय साथी यह भूल गये हैं कि इनकी कांस्टीचुऐंसी से श्रीमती शारदा रानी चुनी गई थी और वह मंत्री थी। फरीदाबाद से उन्हें जिताना तो हमने था और चली गयी रूलिंग पाट्री में। (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से व्यवधान)

Mr. Speaker: Mal ender Partap Singh Ji, please take it lightly.

श्री महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सोनीपपत जिला के राई हल्के में किसी सड़क का निर्माण किया गया है।

Mr. Speaker: It may not be possible to answer this supplementary.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, टोटल इनको दिया हुआ है लेकिन ये पढ़ते नहीं।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया है कि ये डुप्लीकेट सड़कों की बात करर रहे हैं। मेरे हल्के रोड़ी में कई गांव ऐसे हैं जो कि लिंक रोड़ से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कितने गांव ऐसे हैं जिनके ऐस्टिमेटस बन चुके हैं लेकिन सड़कें बनाने काा काम अभी विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, हो सकता है चौ. रणजीत सिंह के हल्के के कुछ गांव ऐसे हों जिन्हें अभी तक लिन्क रोड़ के साथ न जोड़ा गया हो। लेकिन मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या वे गांव 35 डायरैक्टरी विलेजिज में ळैं जो ऐलिजिबल हैं परन्तु जहां लिन्क रोड़ नहीं बनी है या उन 60 डायरैक्टरी विलेजिज में हैं जो ऐलिजिबल नहीं हैं? कौन से गांव ऐलिजिबल हैं या ऐलिजिबल नहीं है, इसका क्राइटेरिया यह है कि प्लेन एरिया में जिस गांव की पापुलेशन 250 या उससे ज्यादा है ऐलिजिबल है और हिली एरिया में जिस गांव की पापुलेशन 150 या उससे ज्यादा है, ऐलिजिबल की कैटेगरी में आते हैं हरियणा में 60 गांव ऐसे हैं जो डायरैक्टरी विलेजिज में तो हैं परन्तु पापुलेशन उनकी 250 से कम है। मंत्री जी आाज बीमारी के कारण नहीं आए हैं, यदि कोई ऐसी रोड रह गई है तो वह उनके नोटिस में ला दी जाएगी ताकि वे इस बारे शीघ्र ही कार्यवाही कर सकें।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो लिखित उत्तर दिया गया है उसके एनैक्सचन ''ए'' में जिला हिसार की तहसील

टोहाना के अन्दर ''समेन से ललोडा'' तथा ''धीर से धीर स्कूल'' शामिल किये गये हैं। धीर से धीर स्कूल नाम का कोई रोड मेरी तहसील में नहीं पड़ता। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या यह गांव किसी और तहसील से मेररी तहसील में ऐड कर दिया गया या यह कोई और गांव है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: गांव समेन से सलोउा तक तो है यह तो आप मानते हैं?

कामरेड हरपाल सिंह: जी हां यह तो है।

श्री वीरेन्द्र सिंह इसका मतलब है कि पांच किलोमीटर तो बनी ही है।

कामरेड हरपाल सिंह: वह तो ठीक है लेकिन मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि जिस दूसरे रोड का जिक्र है वह वास्तव में धारसू से धारसू स्कूल है जो अभी बनी नहीं है और इसके ऐस्टिमेंटस तीन साल से बनने हुए हैं। मैंने मार्किट कमेटी के चेयरमैन साहब से भी बातचीत की है। यह गलत रिपोर्ट है कि सड़क बनी है। सड़क बनी नहीं है। इसका गलत जिक्र किया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह गलत रिपोर्ट नहीं है, मिस–प्रिटिंग जरूर हैं यह धारसु से धारसू स्कूल तब बनी है। दरअसल इसकी मैटलिंग की गई है। 0.48 किलोमीटर बनी है। बाकी यह मिस–प्रिंटिंग जरूर है। यह धारसू की बजाए धीर लिखा गया।

(At this stage some members rose to ask supplementary Questions).

Mr. Speaker: Sufficient supplementaries have already beeen asked on with this question. Besides, be the Hon Minister concerned with this Department is sick. Hence, no more supplementaries are allowed on this question.

Next question.

Old age pension to persons under going imprisonment

***583 Shri Surinder Kumar Madan:** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state-

(a) whether it is a fact that old age pension has been given to the persons who are more than 65 years old; and

(b) if so, whether the benefit of such pension is also being given to such of thepersons who are under-going imprisonment in the jails of the State togetherwith the number thereof?

जेल राज्य मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा):

(क) हां।

(ख) राज्य की जेलों में सजा काट रहे पात्र व्यक्तियों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या उनके ऐसी पैंशन के आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने के उपरान्त ही ज्ञात हो सकेंगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, सरकार से अपंग और विधवाओं की पैंशन तो कर दी है लेकिन जो ना–बालिग बच्चे हैं, जिनकी न मां है, न बाप है न जायदाद है और नहीं जिनकी देखभाल करने वाला कोई है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें पैंशन या और प्रकार की सुविधा देने के बारे में सरकार विचार करेंगी?

श्री नर सिंह ढांडा: बच्चों को पैंशन देने के बार में मामला विचाराधीन है।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, तहसील और ब्लाक लैवल पर समाज कल्याण अधिकारी बैठे हुए हैं जो लोगों की सुविधा के लिए हैं। जिन लोगों को पैंशन दी जा चुकी हे उसके लिए हम सरकार को मुबारिकबाद देते हैं लेकिन कइ लोगों को बड़ी दिक्कत पहुंच रही है। उन्हें मंनीआर्डर समय पर नहीं पहुंचते हैं या उनके मनीआर्डर मिस हो जाते है। जिस महीने में लोंगों को मनीआर्डर नहीं मिलते हैं उन्हें जिला हैड क्वार्टर पर भागना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो समाज कल्याण अधिकारी ब्लौक लैवल पर और तहसील लैवल पर बैठे हुए हैं उनकी डयूटी लगायी जायेगी कि उनकी तहलीफें दूर करें और उनकी ऐप्लीकेशन्ज लेकर समय पर पैंशन दें?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, इस बारे में मैं पहले सवाल के जवाब में भी बता चुका हूं कि जब पैंशन बनाई जाती है

तो उससे पहले हमारी सक्रूटनी कमेटी गांव में जाती है वहां जा कर इन्क्वायरी करती है और पैंशन रिकमैंड करती है। दूसरे अगर कोई ऐलीजिबल आदमी हैं या इनऐलीजिबल आदमी हैं उन्हें भी सुनने का मौका दिया गया है जिसकी पैन्शन सस्पैन्ड होती है उसे बाकायदा नोटिस जाता है, फिर इन्क्वायरी होती है और यह प्रूफ देने पर कि सब बातें ठीक हैं उसकी पैन्शन बना दी जाती है। कोई आदमी किसी वजह से यदि वहां पर समय पर नहीं मिल पाता है तो भी उसकी इन्क्वायरी के बाद पैन्शन बना दी जाती है।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, ये मेरा सवाल समझे नहीं हैं मैं यह कह रहा हूं कि कुछ लोगों को पैन्शन समय पर नहीं मिल रही है, मनीआर्डर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और जिन लोगों को समय पर पहुंच भी रहे हैं उन्हें भी काफी दिक्कत आ रही है। जिनके मनीआर्डर समय पर नहीं पहुंचते हैं उन्हें जिला हैडक्वार्टर पर भागना पड़ता है। इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो समाज कल्याण अधिकारी तहसील और ब्लौक लैवल पर डयूटी पर लगे हुए हैं वे उनकी कम्पलेन्ट को परसू करें।

श्री नर सिंह ढ़ांडा: पैन्शन का मामला कम्प्यूटर द्वारा हैंडल किया जाता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि ऐक्नौलेजमेंट नहीं पहुंचती और उन्हें बाद में पैंशन मिलती है। पैन्शन जिला हैडक्वार्टर नहीं देता है बल्कि गांव में डाकिया पैंशन दे कर आता है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, वृद्धावस्था पैंशन की बात चल रही है। जब विकलांग बच्चों को, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, पैंशन देने की बात आयी तो मंत्री जी ने यह कहा कि हम उनको नहीं देते। स्पीकर साहब, गांवों में आज भी बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो विकलांग हैं और जिनको पाली लगवा रखा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिनका कोई सोर्स औफ इन्कम भी नहीं है, ऐसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या कोई पैंशन लगायेंगे ताकि उनकी भी अपनी रोटी–रोजी का इंतजाम हो सके।

श्री नर सिंह ढ़ांडा: मैं पहले भी कह चुका हूं कि विकलांग बच्चों को कोई पैंशन नहीं दी जाती बल्कि उनको किसी दूसरी शक्ल में यानी स्कौलरशिप के रूप में सहायता दी जाती है। पैंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर साहब, राज्य सरकार की ओर से एक अपील जारी की गयी थी। उस अपील पर कुछ ऐसे लोगों ने जिनकी आयु 65 वर्श की नहीं थी, उससे कम थी, लेकिन वह पैंशन ले रहे थे उन्होंने अपनी पैंशन सरैन्डर भी कर दी क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने लोग है जिन्होंने वौलेंटेरीली पैंशन सरैन्डर कर दी है और ऐसे कितने मामले सरकार के पास है?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: स्पीकर साहब, इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये। काफी लोगों ने अपनी पैंशन रद भी करवायी है और कुछ लोगों के खिलाफ केस भी बनाये गये हैं। कटारिया साहब ने जो पूछा है कि कितने लोगों ने अपनी पैंशन की अर्जी विदड्रा कर ली है, इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब विडोज या ओल्ड एज पैंशन के लिए जो लोग फार्म भर देते हैं उनका फार्म लेते समय कोई रजिस्ट्रेशन नम्बर या रसीद वगैरह औफिस की तरह से नहीं दी जाती। लोग भटकते फिरते हैं कि हमने फार्म तो भर दिया लेकिन हमें पैंशन नहीं दी जा रही है। अगर उसके पास कोई रिकार्ड हो, उसके पास कोई रसीद वगैरह हो तो वह पता कर सकते हैं। क्सा सरकार कोई ऐसा प्रोग्राम बनायेगी जिससे उनको नम्बर मिल सके?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): मैं इसका जवाब इस शक्ल में देना चाह रहा हूं कि यह पैंशन बुढ़ापे की जो दी जा रही है यह नाकारा होने की वजह से नहीं है बल्कि सम्मान पैंशन है। जो आदमी 17 जून, 1987 को 65 साल से ऊपर हैं, उन सबको मिल रही है। जो बाकी रहे गये हैं, उन्हें 1346 रूपये इन दिनों में मिलने वाले हैं।

Source reports received by Vigilance Bureau

***584. Shri Vasu Dev Sharma@ Shri Hira Nand Arya**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of source reports received by the State Vigilence Bureau against any officers/officals of the State Government regarding the misutillization of Government funds, misappropriation/embezzlement and corruption during the years, 1982-83 to 1987-88 (upto 30-6-88), rangewise, separately?

(b) the total number of source reports out of those as referred to in part (a) above, referred back to the concerned ranges for conducting enquiries/investigations during the aforesaid period; and

(c) the number of source reports, out of those as referred to in para (a) above that have been dropped; if so, the reasons thereof togetherwith the number of such reports pending for investigation enquiry?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है।

सूचना

		मुख्यालय	करनाल	गुड़गांव	हिसार
(ए)	वर्श 1982–83 से 30.6.88 तक रेजवाईज प्राप्त हुई सोर्स रिपोर्टस की संख्या	62	232	441	131

(बी)	उपर्युक्त (ए) में वर्णित सोर्स रिपोर्टस में से जांच/अन्वेशण हेतु रेंजों को भेजी गई सोर्स रिपोर्टस की संख्या	39	93	129	61
(सी)	उपर्युक्त (ए) में वर्णित सोर्स रिपोर्टों में से ड्रौप की गई सोर्स रिपोर्टों की संख्या	23	139	312	70
	ड्रौप करने के कारण	इन सोर्स रिपोर्टों को ड्रौप करने का कारण उनमें वर्णित आरोपों तथा सूचना में ठोस तथा पूर्ण तथ्यों की कमी होना था।			

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने जो सूचना दी है वह सोर्स रिपोर्टों के बारे में रेंज–वाईज सूचना दी है। रेंज–वाईज फिगर्ज तो ठीक हैं, इन्होंने दे दिये हैं, लेकिन क्या यह वर्श–वार सोर्स रिपोर्ट के बारे में बताने की कृपा करेंगे?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, वर्श–वार सोर्स रिपोर्ट की सूचना भी मैं दे देता हूं। 1982–83 में हैडक्वार्टर में 14, करनाल में 34, गुड़गावां में 94 और हिसार में 18 हैं। वर्श 1983–84 में हैडक्वार्टर में 7, करनाल में 31, गुड़गांवा में 55 और हिसार में 14 हैं। 1984–85 में मुख्ययालय में 2 करनाल में 49, गुड़गावां में 57 और हिसार में 28 हैं। 1985–86 में मुख्यालय में 7, करनाल में 40, गुड़गांवा में 63 और हिसार में 18 हैं। 1986–87 में मुख्यालय में 21, करनाल में 47 गुड़गांवा में 113 और हिसार में 14 हैं। 1987–88 में मुख्यालय में 10, करनाल में 30, गुड़गांवा में 53 और हिसार में 25 हैं। 1988–89 में मुख्यालय में 1, करनाल में 1, गुडगांवा में 6 और हिसार में 14 हैं, इतनी सोर्स रिपार्टस हमें मिली हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन सोर्स रिपोर्टस में से वर्श वार वापिस इन्क्वायरी के लिये विजीलैंस के पास कितनी इन्होंने भेजी हैं और न भेजने वाली कितनी रिपोर्टस हैं।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, वर्श वार यह सूचना तो मैं नहीं दे पाऊंगा मैं टोटल आपको बता देता हूं कि 322 सोर्स रिपोर्टस को सम्बन्धित रेंजों को भेजा गया है और 554 सोर्स रिपोर्टस ड्रौप कर दी गयी है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, पिछले सैशन में जब हमारे ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर चौ. बलबीर सिह जी होते थे, हमने स्प्रिकर्ल्ज के अन्दर सबसिडी में करप्शन के बारे में कुछ कागजात इन्क्वायरी के लिये दिये थे। दो बार मेरे पास आदमी आ चुके अभी तक इन्क्वायरी के लिये कोई आदमी नहीं आया। जिनके खिलाफ वह कम्पलेंट थी, वह आदमी अभी तक यूं के यूं घूम रहे हैं और उल्टे धमका रहे हैं कि हमारा क्या बिगड़ा है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी घटना को रोकने के लिये कोई उपाय सरकार करेगी?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इनका भी कुछ प्रबन्ध कर रहे हैं और बाकायदा इस सिस्टम को फूलप्रूफ बनाया जा रहा है। पहले तो विजिलैंस डिपार्टमैंट के पास जो भी सोर्स रिपोर्टस आती थी उनके बारे में यह समझा जाता था कि कोई इसमें तथ्य है और कोई प्रमाण इससे जुडा हुआ है। सोर्स रिपोर्ट को गवर्नमैंट के पास भेजा जाता था और गवर्नमैंट उस डिपार्टमैंट से इजाजत लेकर उसके बाद बाकायदा रैगुलर इंक्वायरी रजिस्टर करती थी। अगर उसमें कोई क्रिमिनल बात नहीं होती थी तो वह डिपार्टमैंटल ऐक्शन के लिए भेज दी जाती थी लेकिन कई बार डिपार्टमैंट ऐक्शन नहीं लेता था और रिपोर्ट पड़ी रहती थी। अब हमने इसमें सुधार कर दिया है कि इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट डिपार्टमैंट को जाएगी इस बारे में हमने हर डिपार्टमैंट को

डायरेक्शन दे दी हजै कि हर तीन महीने के बाद अपने ऐक्शन की प्रोग्रैस रिपोर्ट दे।

श्री हीरा नन्द आर्य: मंत्री महोदय ने बताया है कि जो सोर्स रिपोर्टस थीं उन सभी के विरूद्ध डिपार्टमैंट में कार्यवाही की जाती थी और पिछले दिनों हमारी सरकार ने इस नीति में परिवर्तन कर दिया है। स्पीकर साहब, 1982–83, 1983–84 और 1985–86 तक सोर्स रिपोर्ट वापिस विजिलैन्स के पास भेजी जाती थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह नीति में परिवर्तन किया है कि अब वह रिपोर्ट उस सम्बन्धित विभाग को भेज दी जाती है जिसके खिलाफ शिकायत है नाकि विजिलैन्स विभाग को या और कोई परिवत्रन किया है?

प्रो. सम्पत सिंह: मैं तो यह कह रहा हूं कि हमने सिस्टम में कुछ सुधार किया है और वह सुधार यह किया है कि ऐक्शन के लिए जब डिपार्टमैंट को रिपोर्ट भेजते थे तो डिपार्टमैंट पहले रिपोर्ट नहीं करता था कि क्या ऐक्शन लिया है। अब बाकायदा वह डिपार्टमैंट तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट करेगा कि क्या ऐक्शन लिया है। तीन महीने के अन्दर प्रोग्रैस रिपोर्ट भेजने के बारे में इंस्ट्रक्शंज हर डिपार्टमैंट को भेज दी गई हैं।

चौ. देस राज: स्पीकर साहब, तत्कालीन सरकार के कुछ गुंडों ने कुराड़ गांव, जो जिला जींद में है, में खुले आम गोली

चलाई थी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह विजिलैन्स से सम्बन्धित केस नहीं है। यह अलग से टेक अप हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, मैंने पिछले सत्र में भी हरियाणा सरकार ने जो पुराना जहाज 1986 में खरीदा था उसकी इंक्वायरी के लिए कहा था। उस समय मंत्री महोदय ने कहा कि लिखकर भेजो। मैंने एक रजिस्टर्ड लैटर इस बारे में भेजा था। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

प्रो. सम्पत सिंह: वह डिपार्टमैंट को भेज दिया गया है।

Industrial Units in Dharuhera industrial Area

***595. Shri Raghu yadav**: Will the Minister for Industries be pleased to refer to parts (a) and (b) of reply to Unstarred Question No. 7 answered on 22-12-87 and to state-

(a) whether any of the industrial units, out of those which were lying closed as on 1st September, 1987 have now been revived in the Dharnhera Industrial area; and

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken to increase the employment of persons belonging to the backward area of Mohindergarh District in the Industrial Units set up at Dharuhera Industrial area?

Industries Minister: (Dr. Kirpa Ram Punia) :

(a) Yes, Sir. one out of the seven units which were closed as on 1st September, 1987, has been gone into production.

(b) The State Government has announced a new set of incentives for the growth of industries which are expected to increase employment in the State inculding Mohindergarh District.

श्री रघु यादव: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि सात में से जो एक इकाई आरम्भ हुई है वह कौन सी है और महेन्द्रगढ़ जो एक पिछडा हुआ जिला है क्या इस औद्योगिक विकास से वहां के लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलें हैं तथा यदि नहीं तो इस बारे में क्या कोई गए नियम बनाए जा रहे हैं?

डा. किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, सात में से जो एक यूनिट चालू हुआ है उसका नाम ओम स्टील टयूबज, धारूहेड़ा है। जहां तक महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई नया कानून बनाने की बात है ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों नई औद्योगिक नीति की घोशणा की है उसके तहत काफी सारे नए इन्सैंटिब्ज दिए हैं और मैं समझता हूं कि महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट और सारे हरियाणा में इंडस्ट्रियल यूनिटस को बढ़ावा मिलेगा, हरियाणा में ऐम्पलाएमैंट जनरेशन ज्यादा होगी और बेरोजगारी मिटेगी।

श्री रघु यादव: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी सहायता और सुविधा से किये जाने वाले औद्योगिक विकास के पीछे सरकार का क्या अभिप्राय होता है? क्या इस औद्योगिक विकास के माध्यम से सरकार वहां पर प्रदूशण फैलाने और नई इमारतें खड़ी करने का काम करना चाहती है या वहां के पिछड़े व गरीब लोगों को रोजगार के नये अवसर देकर उनका आर्थिक विकास करना चाहती है?

डा. किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इंडस्ट्रीज की जितनी भी नई इकाईयां लगती हैं उनसे लोकल लोगों को ऐम्पलायमेंट मिलती है और दूसरे कुाी डिवल्पमैंट के कामों को भी प्रोत्साहन मिलता है। यह बात भी जरूर है कि कई बार लोकल ऐम्पलायमेंट वहां के लोगों को नहीं मिल पाती। इंडस्ट्रीज को टैक्नीकल आदमी जैसे स्किल्ड और इंजीनियर्ज वगैरह नहीं मिल पाते। अन–स्किल्ड और और्डीनरी लेबर मिलती है। इसके लिये हमने एच.एस.आई.डी.सी. को हिदायतें दे रखी हैं कि बाकायदा वह एक ऐग्रीमैंट भी रके जिससे वहां के लोकल लोगों को ही वहां की ऐम्पलायमैंट मिल सके। इसके लिए एच.एस.आई.डी.सी. ने टर्मज एंड कंडीशन्ज को एक ऐग्रीमैंट बनाया भी है और ये सारी बातें उसमें रखी गयी है। इससे मैं समझता हूं कि काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नारनौल के अन्दर जो एच.एम.एन. की फैक्टरी लगी हुई है। उसके अन्तर्गतत जो मिनरलज और खानें वगैरह आती हैं उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और क्या कोइ ऐसी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि वहां की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके?

डा. किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह सवाल तो था सिक यूनिटस के बारे में और आनरेबल मैम्बर पूछ रहे हैं हरियाणा मिनरलज के बारे में। इसके लिये अगर ये अलग से नोटिस दें तो मैं बता दूंगा।

Plots in subsidized rates to people of rural area

***654. Shri Pardeep Kumar Chaudhry**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to give plot to the rural people in the Urban Estates on the subsidized rates in the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

Irrigation and Power Minister (Sri Verender Singh):

(a) No. There is, however, a scheme for allotment of plots at reserve price to the oustees of rural agriculture lands which are acquired for development of Urban Estates.

(b) Question does not arise in view of the above.

श्री प्रदीप कुमार चौधरी: स्पीकर सर, मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कंसैप्ट आफ रिजर्वेशन अभी लागू है? अगर है तो किस के लिये लागू है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल पूछा है कि उसका जवाब मैं पहले ही विस्तार से दे चुका हूं कि हरेक आउस्टी को एक–एक प्लाट देने की सरकार की प्रोपोजल है। जिस ढंग से रिजर्वेशन की जाती है उसका ब्यौरा इस प्रकार से है –

डिफैन्स पर्सोनल्ज के लिये	=	25 परसैन्ट
सरकारी कर्मचारियों के लिये	=	10 परसैन्ट
फ्रीडम फाइटर्ज के लिये	=	2 परसैन्ट
हैंडीकैप्ड के लिये	=	1 परसैन्ट
बार विडोज तथा डिसऐबल्ड के लिये	=	3 परसैन्ट
बैकवर्ड क्लासिज के लिये	=	3 परसैन्ट

श्री प्रदीप कुमार चौधरी: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब ऐग्रीकलचरिस्ट

सरकार है तो क्या इन लोगों को शहरों में प्लाटस देकर बसाने का सरकार कोई प्रबन्ध करना चाहतीी है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हम जिसकी जमीन ऐक्वायर करते हैं, हम उसको आउस्टी मानते हैं और ऐसे लोगों को प्लाटस देने का प्रावधान है।

Mr. Speaker: Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

New Water Courses under M.I.T.C. Scheme

***636. Shri Mohinder**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total number of water courses in Rohat Constituency of District Sonipat which have been repaired under MITC scheme during the year 1988-89; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the new water courses under the above said scheme during the year 1988-89; if so, the details thereof together with the names of the village where the aforesaid lining work is likely to be done?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) पांच

(ख) वर्श 1988–89 में रोहट हल्के में निम्नलिखित खालों के शेश काम का करने का प्रस्ताव है:–

क्र.स.	खालों का विवरण	गांव
1	20453–आर, जुआ डिस्ट्रिब्यूटी	जाजी
2	7447–एल, ककरोई डिस्ट्रिब्यूटी	बयानपुर, रोहात
3	7500– एल, कालुपुर माइनर	जमालपुर, कालुपुर
4	4900– एल, सिसाना माइनर	लौहारी टिब्बा
5	8160–आर, सिसाना माइनर	लौहारी टिब्बा
6	4270–आर, बागरू माइनर	भटगांव
7	53590–आर, सिसाना माइनर	सिसाना

B.K. Hospital Faridabad

***655. Sh. Kundan Lal Bhatia**: Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Beds of B.K. Hospital, Faridabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize?

स्वास्थ्य एवम् आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Construction of Tehsil Building Gannaur

***619. Sh. Ved Singh Malik**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether any land has been acquired for the construction of Tehsil Building at Gannaur in Sonipat District; if so, the date of acquisition of such land;

(b) whether the work for the construction of the aforesaid building has been started; and

(c) if not, the date by which the same is likely to be started/completed?

राजस्व मंत्री (श्री सूरजभान):

(क) जी हां, दिनांक 29.7.1983 को।

(ख) नहीं जी

(ग) निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्श 1989–90 में आरम्भ होने की संभावना है। निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि बताना अभी संभव नहीं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Advertisement to Newspapers etc.

94. Sh. Raghu Yadav: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the rate, if any, fixed by the Government for giving the advertisements for publication in the newspapers and magazines; and

(b) the total amount given for the purpose as mentiined in part (a) above to the dailies/magazinnes (weekly, fortnighty/monthly) during the years from 1983-84 to 1987-888 i.e. upto 31-7-88 yearwise, separately, togetherwith the names of each newspaper/magazine thereof?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल):

(क) लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा छोटे–छोटे समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने हेतु समय–समय पर दर नियतत करता है। वर्श 1983–84 में ये दरें 2 रूपये प्रति सिंगल कालम सैन्टीमीटर थीं। 10.5.1984 से ये दरें बढ़ाकर 3 रूपये तथा 1.2.1987 से 4 रूपये प्रति सिंगल कालम सैंटीमीटर कर दी गई थी। जिन पत्र/पत्रिकाओं की दरें, विज्ञापन एवं दृश्य–प्रचार निदेशालय भारत सरकार, नई दिल्ली नियत करता है,

उन्हें तदानुसार अदायगी की जाती है। कुछ मामलों में जहां विज्ञापन एंव दृश्य–प्रचार निदेशालय की दरें अथवा विभाग द्वारा नियत की गई दरें लागू नहीं होतीं, वहां अदायगी सम्बन्धित समाचार–पत्रों द्वारा नियत व्यापारिक दरों पर की जाती है।

(ख) वर्श 1983–84 से वर्श 1988–89 अर्थात (31.7.88) तक जिन दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक समाचार–पत्रों को जितनी राशि के विज्ञापन जारी किये गये हैं, उनकी वर्श अनुसार ब्यौरे की सूची अनुबन्ध ''क'' पर दे दी गई है।

अनुबंध ''क''

वर्श 1983–84 से 1988–89 (31.7.88 तक) जिन जिन समाचार–पत्रों को जितनी राशि के विज्ञापन जारी किये गये, के ब्यौरे की वर्श अनुसार सूची

अंग्रेजी दैनिक

क्र. स.	समाचारपत्र का नाम	1983–84	1984–85	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89 (31.7.88 तक)	जोड़
1	ट्रिब्यून, चण्डीगढ़	638481	1152845	1800100	1904625	2209055	563100	8268206
2	इण्डियन एक्सप्रैस, चण्डीगढ़	161778	269317	99965	484045	455140	149925	1620170
3	इण्डियन एक्सप्रैस, दिल्ली	215838	242077	31835	251265	238040	56650	1035705
4	इण्डियन एक्सप्रैस, दिल्ली/	764288	488107	85910	463960	742245	499765	3044275

	चण्डीगढ़							
5	इण्डियन एक्सप्रैस, बम्बई / अहमदाबाद	16423	37434	765				54622
6	इण्डियन एक्सप्रैस, मद्रास (साऊदरन एडीशन)	17109	16192	2680	8000	17970	28000	89951
7	स्टेटसमैन, दिल्ली	111440	131660	167635	146415	161105	54690	772945
8	स्टेटसमैन, कलकत्ता	115254	3744	3150	29250	35380	45530	232308
9	स्टेटसमैन, दिल्ली / कलकत्ता	116038	166032	78360	98870	42945	11600	513845
10	नैशनल हैरल्ड दिल्ली	122816	77135	230545	61725	19775	15995	527991
11	नैशनल हैरल्ड लखनऊ	1393	340					1733
12	नैशनल हैरल्ड, दिल्ली / लखनऊ	3803						3803

13	टाईम्ज आफ इण्डिया, दिल्ली	289590	271860	599445	1034985	652780	152745	3001405
14	टाईम्ज आफ इण्डिया, दिल्ली / बम्बई	266300	80884	9955	53875	91720		502734
15	टाईम्ज आफ इण्डिया, बम्बई		11730	7980	7970			27680
16	हिन्दुस्तान टाईम्ज दिल्ली	1012196	7739995	715280	833300	956420	315390	4606581
17	पैट्रिआट, दिल्ली	22242	51915	196285	362690	2089055	59285	901322
18	अमृत बाजार पत्रिका, कलकता	72079	731999	14305	31565	30785	2745	224678
19	इक्नामिक टाईम्ज, दिल्ली / बम्बई / कलकता / बंगलौर	182110			105600	122830	37325	447865
20	फायनैंशल एक्सप्रैस, दिल्ली / बम्बई	2251	4520			7215		13986

21	टाईम्प आुर इण्डिया दिल्ली / बम्बई / बंगलौर						15000	15000
22	इक्नामिक टाईम्ज, दिल्ली / बम्बई						20050	20050
23	इक्नामिक टाईम्ज, दिल्ली		65636	63065		43540	16090	188331
24	दकन हैरल्ड बंगलौर		533			2400		2933
25	हिन्दू, मद्रास	3840	42689	72687	102930	56350	27475	305971
26	पायनियर, लखनऊ		1686			300	2680	4666
27	फ्री प्रैस जरनल, बम्बई	229	1730	7350	9480	3615		22404
28	पंजाब मेल, चण्डीगढ़	265	400	500	4535	6480	2125	14305
29	राज्यस्थान पत्रिका, जयपुर		4320	7310		330		11960

30	हिन्दुस्तान ओवरसीज, दिल्ली			22710		200		22910
31	टैलीग्राफ, कलकत्ता			1600				1600
32	मेल मद्रास			1970	6595			8565
33	हितावदा, भोपाल			365				365
34	बिजनेस स्टैंडर्ड, कलकता			7850				7850
35	इण्डियन एक्सप्रैस, दिल्ली/बम्बई				19770	9960	1080	30810
36	हिन्दुस्तान टाईम्ज, पटना					15552		15552
37	इण्डियन एक्सप्रैस, आल एडीशंज					128310	449990	578300
38	इवनिंग न्यूज, दिल्ली						270	270
39	डेली, बम्बई						3400	3400

40	बिजनेस इण्डिया, कलकता						1000	1000
	अंग्रेजी साप्ताहिक							
1	इण्डियन टैंडर जनरल, दिल्ली	9913	10955	13975	11615	29100	5480	81038
2	एम्पलायमैंट न्यूज, दिल्ली	38890	30900	42795	56590	77130	50935	297240
3	मोटर ट्रांसपोर्ट गजट, चण्डीगढ़	755	84				1215	2054
4	धड़कन, चण्डीगढ़		225		255			480
5	मेनस्ट्रीम, दिल्ली	1175	775	1250	500	6980	170	10850
6	आरगनाईजर, दिल्ली		1555			1265	500	3320
7	नार्दर्न न्यूज, चण्डीगढ़	822	782	9375	14910	13630	6555	46074
8	बिल्टज, बम्बई		4200					4200

9	केमर्स, बम्बई		1200					1200
10	लिंक, दिल्ली	450		600	1100	1500	1140	4790
11	नैशनल सोलीडिरेटी, दिल्ली	570						570
12	आन्नदा मार्किट, यमुनानगर					110	295	405
	अंग्रेजी पाक्षिक							
	इण्डिया टूडे, दिल्ली		16500					16500
	अंग्रेजी मासिक							
1	आर्ट आफ लीविग, अमृतसर	1475	725					2200
2	क्रयूसेडर, चण्डीगढ़	400	400					800
3	उदयोगयुग, चण्डीगढ	23560						23560

4	इन्टेगरेशनिस्ट					1700		1700
	हिन्दी दैनिक							
1	दैनिक ट्रिब्यून, चण्डीगढ़	64958	215158	374809	518990	502360	240800	1917075
2	(ट्रिब्यून) अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी, चण्डीगढ	7969	5473					13442
3	पंजाब केसरी, जालंधर	539080	54639	927775	886710	653465	218875	3767544
4	पंजाब केसरी, दिल्ली	47110	162570	369180	263740	316815	139140	1298555
5	पंजाब केसरी, दिल्ली/जालंधर	147500	482259	852470	613080	607500	290900	3003709
6	पंजाब केसरी/हिन्द समाचार, जालंधर	272833	101116					373949
7	पंजाब केसरी/हिन्द	6406	13437					77497

	समाचार / जगवाणी, जालंधर							
8	वीर प्रताप, जालंधर	57067	143807	194490	190575	141520	14710	742169
9	वीर प्रताप, / प्रताप जालंधर	118906	19905					138811
10	हिन्दी मिलाप, जालंधर	33314	30000	46365	102455	56935	1455	270524
11	हिन्दुस्तान (हिन्दी) नई दिल्ली	628048	534306	713320	1192950	992740	204820	4266184
12	नवभारत टाईम्ज दिल्ली	382961	347312	521215			18085	1269573
13	जनयुग, दिल्ली	10255	8288	1385				19898
14	शिवालिक संदेश, चण्डीगढ़	14499	7492	11165	310			33466
15	हरियाणा निर्माण, रोहतक	14436	10766	12295	11875	340		49712
16	भारत जननी, रोहतक	34104	23967	40195	44430	33610	8200	175226

17	मेवात, गुड़गांव	34805	13788	17245	11710	14995	2830	95373
18	अधिकार, फरीदाबाद	12142	16101	21255	48235	3380		101113
19	दैनिक चेतना, भिवानी	6024	6978	470			4615	18087
20	दहशत, करनाल	1923	5255	1510	310	340		9338
21	राज्यस्थान पत्रिका, जयपुर	1188	5102	6055	4085	9330	19000	44760
22	विश्वमित्र, कलकत्ता		490	360			7500	8350
23	जनसत्ता, दिल्ली		17413	26685	350255	226380	18715	639448
24	जनसत्ता, चण्डीगढ़					305635	41065	346700
25	जनसत्ता, दिल्ली / चण्डीगढ़						30510	30510
26	जनसत्ता,						135680	135680

	दिल्ली / चण्डीगढ़ / बम्बई							
27	वीर अर्जुन, दिल्ली		1705	50095	71430	87160	24695	324085
28	दैनिक पायलट, भटिण्डा		330	3385	3495	4340	915	12465
29	आपवर्ता, पटना			300	650	500		1450
30	नवजीवन भोपाल	2755		1305				4060
31	अमर उजाला, आगरा			390		2910	16240	19540
32	जागरण, कानपुर	576		440	1330	3325	32000	37671
33	नवभारत टाईम्ज (हरियाणा संस्करण) दिल्ली				523340	781820	255035	1560195
34	शेरे–हरियाणा, फरीदाबाद	270			650		1500	2420

35	नवज्योति, अजमेर				625		17000	17625
36	भारत देश हमारा, पटियाला				6990	25585	3970	34545
37	विश्वमानव, मेरठ					1000		1000
38	नवभारत, लखनऊ					2400		2400
39	नभछोर, हिसार						4695	4695
40	हड़ौती अधिकार, फरीदाबाद						1505	1505
41	धड़कन, चण्डीगढ़					680	680	1360
42	नवभारत, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, कानपुर, बिलासपुर						20000	20000
43	सन्मार्ग, कलकता						7000	7000

44	परीक्षित कलकता						5500	5500
45	जनपत समाचार, सिलीगुड़ी (आसाम)						5500	5500
46	आज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ, आगरा						24000	24000
47	नई दुनियां, इन्दौर						14000	14000
48	अरानाद, रिवाड़ी	16652	6242	2500				25394
49	स्वतन्त्र विश्वमानव, करनाल					17650	23185	40835
50	बन्दे मातरम, दिल्ली					3380	6025	9405
	हिन्दी साप्ताहिक							

1	चेतना वीकली, भिवानी	12745	6845	11280	1730	6215	3745	42560
2	पूर्वी पंजाब, भिवानी	3220	3299	4505	8685	4070	2010	25789
3	हरियाणा संघ, हिसार	5246	7508	1535		340		14629
4	न्यायालय, हिसार	1782	6034	1520	310	1265	1485	12396
5	नवनाद, हिसार	5703	6668	1735	310	340		14756
6	करनाल टाईम्ज, करनाल	10791	16569	17290	27845	18090	5415	96000
7	हरियाणा दर्पण, करनाल	5934	7509	8070	8345	4995	1425	36278
8	अम्बाला टाईम्ज, अम्बाला	5507	9760	10055	5405	6520	2165	39412
9	पवन वेग, अम्बाला	3716	4595	1580	310	340		10541
10	हरियाणा लीडर, कैथल	3024	2558	5200	4955	3495	800	20032

11	हकपरस्त, कैथल	3325	6950	1460	3010	5145	1735	21625
12	सुपर एक्सप्रैस, गुड़गांव	3103	4475	1920	310	340		10148
13	देवभूमि, जींद	3777	6573	1870	325	340		12885
14	हरियाणा तिलक, रोहतक	2931	2586	3215	2765	3680	1355	16532
15	पुरानी यादें, रोहतक	2198	3893	4350	3975	5060	1400	20876
16	तहकीकात, रोहतक	1470	1770	1510	310	340		5400
17	पुरशार्थी गजट, रोहतक	1232	1782	1275				4289
18	अग्रवाल राजनीति, सोनीपत	2061	5441	9190	7610	3710		28018
19	गीता ज्योति, कुरूक्षेत्र	4104	6231	7715	4980	7400	1835	32265
20	एकता संदेश, दिल्ली	6220	7059	6380	5150	2620		27429

21	साक्षी, दिल्ली	4593	5596	6825	9100	6330	3125	35569
22	असली भारत, दिल्ली	4939	3293	3490	5165	1025		17912
23	एक नजर, दिल्ली	988	2044	600				3632
24	विश्व कल्याण, भिवानी	1607	1794	2755	445			6601
25	पिछड़ी दुनिया, रोहतक	2100	3163	2230	560	340		8393
26	सेवाग्राम, दिल्ली	3353	1859	4325				9537
27	मारकण्डा टाईम्ज, शाहबाद	670	646					1316
28	जागता इन्सान, रोहतक	250	645	1050	300			2245
29	हरियाणा मुद्रिका, पानीपत	2255	420	350	310			3335
30	हरियाणा खुशहाल, रोहतक	450	660	1050	310	340		2810

31	जगत नेत्र, रोहतक	700	660	700				2060
32	दवा खजाना, करनाल	450	340	350				1140
33	आज का युग, भिवानी	225	670	700	310	680		2585
34	जन अधिकार रक्षक, रोहतक		350	1250	400	680		2680
35	ग्रामलोक, दिल्ली	1465	1185		650			3300
36	पंचायत की तस्वीर, तरावड़ी		350					350
37	स्वराज्य संदेश, दिल्ली	3725	1000		850			7775
38	देश प्यार, चण्डीगढ़	255	600	2200	3270	1915	1580	9860
39	प्रेशिका, दिल्ली		2000	2240				2000
40	राश्ट्रपति, दिल्ली		600					600

41	सिरसा ट्रिब्यून, दिल्ली	225	350					575
42	हरियाणा दूत, गुड़गांव		350			350		700
43	रियासत, कालका		350	1050				1400
44	जगत क्रान्ति, जीन्द	2855	365	7730	4940	7315	2615	25820
45	सिरसा प्रिन्स, सिरसा			6535	6865	5170	2630	21200
46	सुबह की लाली, इन्दरी	925		1400	310	680		3315
47	अमृत, करनाल	225		2575	1570			4370
48	परमेशवरी शक्ति, करनाल			850	400	680		1930
49	परोपकार, दिल्ली			950	500			1450
50	कलम की आजादी, अम्बाला	700		700	2440	3895	1690	9425

51	हरियाणा राजनीति, सोनीपत	700		350	310			1360
52	हरियाणा टाईम्ज, गुडगांव	1040		350				1390
53	चण्डीगढ़ दर्शन, चण्डीगढ़			700	2945	2610	925	7180
54	वांगमय शोभा, चण्डीगढ़				3805	405		4210
55	पींग, रोहतक				12050	55545	17615	85210
56	प्राण, फरीदाबाद				650			650
57	हिन्दू की ललकार, भिवानी				975	3250	680	4905
58	सुर और खबर, होडल				310			310
59	सेवा कुंज, करनाल				310			310
60	खटरवाणी, रोहतक					1105		1105

61	राजभारत, रोहतक					1650	960	2610
62	चौथी दुनिया, दिल्ली					350		350
63	मोहभंग, कुरूक्षेत्र					2760	1355	4115
64	अर्थ प्रकाश, चण्डीगढ़					1240		1240
65	खास खबर, दिल्ली					1530		1530
66	पंचजन्य, दिल्ली					3195	2760	5955
67	नरकेसरी, सोनीपत					1910	1715	3625
68	दिनमान, दिल्ली					40000		40000
69	जन्मभूमि, करनाल	288						288
70	व्यापारियों की आवाज, रोहतक	450						450

71	जाट गजट, रोहतक	225						225
72	विचार जागृति, सफीदो	225						225
73	भारत दर्शन, बल्लभगढ़	225						225
74	राश्ट्रीय विस्तार, झज्जर	225						225
75	जंग जारी है, सिरसा	225						225
	हिन्दी पाक्षिक							
1	तेरी मेररी बात, भिवानी						1000	1000
	हिन्दी मासिक							
1	गंगा, दिल्ली				2500			2500
2	आस का पंछी, चण्डीगड़		625					625

3	हंस, दिल्ली						3000	3000
4	हरियाणा संवाद, चण्डीगड़	270					200	470
	उर्दू दैनिक							
1	हिन्द समाचार, जालन्धर	3377	73542	240520	217815	157630	63550	786234
2	प्रताप, जालन्धर	11955	30674	59200	74575	45210	16385	237999
3	प्रताप, दिल्ली	71344	98017	64275	111275	131400	32630	499941
4	मिलाप, जालन्धर	28347	27960	41505	64280	49820	9190	221102
5	मिलाप, दिल्ली	64938	50353	42925	57885	51530	10825	278456
6	तेज, दिल्ली	24736	20202	32200	25990	19450	4350	126928
7	कौमी आवाज, दिल्ली	40587	28268	35535	6560	1505	4820	117275

8	मेहनत, जालन्धर	3930	5102	8370	9380	7675	2065	36522
9	आजाद हिन्द, कलकता						4300	4300
10	इन दिनों, दिल्ली						3000	3000
	उर्दू साप्ताहिक							
1	केसर क्यारी, दिल्ली	2992	2105	3245	3865	2960		15167
2	जगत साप्ताहिक, दिल्ली	7966	5824	6575	4010	2125	1610	28110
3	हिन्दू साप्ताहिक, जालन्धर	5772	5744	4670	5000	6060	1210	28456
4	रोशनी, सोनीपत	3511	4272	3345	3430	3475	740	18773
5	पैगाम, सोनीपत	725	690	1050	310	740		3515
6	अमृत, करनाल	475	690					1165

7	जय जवाहर, दिल्ली	520		600				1120
8	नवाय वतन, अम्बाला		350	700	310	350		1710
	पाक्षिक उर्दू							
1	मुस्तेकाबिल, दिल्ली		3400	4550	2000	3400		13350
	मासिक उर्दू							
1	शेरे हिन्दू, दिल्ली		300					300
2	शायर, बम्बई			500				500
3	ओम, दिल्ली						340	340
4	बीसवीं सदी, दिल्ली	1110	1110	500				2710
	पंजाबी दैनिक							

1	जगवाणी, जालन्धर	17514	16566	34900	37860	39595	18535	164970
2	पंजाबी ट्रिब्यून, चण्डीगढ़	11160	41327	48150	46950	94415	10360	252362
3	अजीत, जालन्धर	37547	16298	104575	51980	32170	15185	257755
4	अकाली पत्रिका, जालन्धर	2351	1450	830	1810	4430	505	11376
5	नवां जमाना, जालन्धर	5012	3330	6660	7750	3960	680	27392
6	रणजीत, पटियाला	10547	6521	14200	14695	6185	1705	53853
7	चढ़दी कलां, पटियाला	5100	7808	18255	17630	14200	7740	70823
8	पंथक समाचार, दिल्ली	4948	1655	9710	7285	3780	1080	28458
9	ऐजुकेटर, दिल्ली	4935	3510	12200	10775	4640	2840	38900
10	जत्थेदार, दिल्ली	7352	4108	10900	10035	6110	995	39500

11	धड़लेदाार, पटियाला		730	10600	10610	4920	2060	28920
	पंजाबी साप्ताहिक							
1	पंथ खालसा, पटियाला	2530	4069	4780	6250	2690	585	20904
2	इंतकाम, पटियाला	165						165
3	दरेर पंजाब, पटियाला	5392	7370	7700	9010	6135	1270	36877
4	फतेह, दिल्ली	10668	9849	13755	8825	6545	740	50382
5	पंथ प्रकाश, दिल्ली	3372	7794	19845	18165	12951	1575	63666
6	कौमी एकता, दिल्ली	1026						1026
7	एक नजह, दिल्ली		1009	587				1596
8	मेल मिलाप, चण्डीगढ़	1440	900	1130	1310	2775	1000	8555

9	पंजपानी, चण्डीगढ	1405	1705			930		4040
10	जग ज्योग, लुधियाना		420					420
11	रणजीत नगारा, चण्डीगढ़	665	760	350	635	850		3260
12	दिशा, चण्डीगढ	835						835
13	सरपंच, चण्डीगढ	10147	8424	10400	6740	5055	1495	42261
	पंजाबी मासिक							
1	प्रीतलड़ी, अमृतसर		700					700
2	निरलेप पत्रिका, करनाल						425	425

Dowry Cases

95. Shri Raghu Yadav: Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the number of murders and suicide cases of women on account of dowry disputes and also the number of murder cases/ suicide cases registered in the State during the years from 1985 to 1988 (upto 31.7.88), separately; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above has been disposed off by the courts together-with the number of culprits punished/ acquitted in the above said cases, year-wise, separately?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): (क तथा ख) सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है –

सूचना

	वर्श	दहेज विवाद सम्बन्धी हत्या/आत्महत्याओं	हत्या एवं आत्महत्याओं के कुल केसों की संख्या
(क)	1985	108	348
	1986	92	418
	1987	180	487

	1988 (31.7.88 तक)	70	282

(ख)	वर्श	न्यायालयों द्वारा निपटाये गए मुकदमों की संख्या	दण्डित दोशियों की संख्या	बरी हुए दोशियों की संख्या	न्यायालयों द्वारा निपटाये गये मुकदमों की संख्या	दण्डित दोशियों की संख्या	बरी हुए दोशियों की संख्या
	1985	98	91	233	318	256	695
	1986	70	101	198	287	330	647
	1987	35	45	110	157	132	374
	1988 (31.7.88 तक)	3	2	3	9	2	12

वक्तव्य –

राजस्व मंत्री द्वारा 24 अगस्त, 1988 को प्रश्नोत्तर काल के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा श्री मंगल, सेन, एम.एल.ए. के बारे में की गई कतिपय टिप्पणीयों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: अब रैवेन्यू मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): अध्यक्ष महोदय, कल प्रश्न उत्तर के समय आदरणीय डा. मंगल सैन जी ने साल के जवाब में इन्टरवीन करते हुए किसी कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा में संघर्श के दौरान जीन्द में हुए हरियाणा समसत सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के पांच लोग शामिल थे। यह ठीक है कि आदरणीय डा. मंगल सेन समेत मंच पर 5–7 लोग ही होंगे, परन्तु सम्मेलन में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। वह संघर्श हम सब का सांझा था। आदरणीय चौ. देवी लाल जी के साथ आदरणीय डा. मगल सैन जी कंधे से कंधा मिलाकर संघर्श करते रहे और दोनों ने असैम्बली की मैम्बरशीप के एक साथ त्याग पत्र दिया। उस संघर्श के परिणामस्वरूप आज हरियाणा में लोक दल और भाजपा की सांझी सरकार चल रही है। हरियाणा को पूरा पानी मिले इसके लिए आगे किए जाने वाले नए युद्ध में हरियाणा भाजपा पहले की भान्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में स्थिति स्पश्ट करने की कृपा करें।

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): स्पीकर साहब, इसमें स्थिति स्पश्ट करने की जरूरत नहीं है। हम मिल कर के राज चला रहे हैं, मिलकर ही युद्ध किया था। कोई गलतफहमी हो गई होगी जो मेरे ख्यालल में दूर हो जानी चाहिए।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री रघु यादव: स्पीकर साहब, मैंने एक कालिंग अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया था जो टैलीफोन टेपिंग के बारे मे था।

Mr. Speaker: I have disallowed it.

Shri Mangal Sein: Sir, today I have given notice of a calling attention motion regarding wakf board property.

Mr. Speaker: I have not received it as yet.

Shri Mangal Sein: Sir, I have submitted today to your Secretariat. If you have not received it, it is very sorry state of affairs.

Mr. Speaker: I have told it is under process.

Shri Mangal Sein: If it is under process, it is all right.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक विशेशाधिकार हनन का नोटिस दिया था। उसका क्या बना?

Mr. Speaker: I will give my decision tomorrow.

Comrade Harpal Singh: Sir, it is a very important matter.

Mr. Speaker: I have made a commitment that I will give the decision tomorrow.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, जब चेयर की तरफ से स्पश्ट आ गया है कि आप कल डिसीजन देने वाले हैं फिर ये बार–बार किस लिए बोल रहे हैं?

कामरेड हरपाल सिंह: हम यहां सदन मे बैठे हैं और हमें अपनी बात कहने का अधिकार है।

Mr. Speaker: When I say that I will give the decision tomorrow, what else is there to say? It is a ruling and you cannot challenge it.

चौ महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, फरीदाबाद में डिमौलिशन के बारे में, मैंने भी एक नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष: वह अभी आ रहा है।

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, जिन्दल एंड कम्पनी के बारे में मेरा भी एक प्रिवलेज मोशन था।

Mr. Speaker: I will give the decision tomorrow. Let proceed further.

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, आप भी लटकाने वाली बात कर रहे हैं।

Mr. Speaker: No question. When I say that I will give the decision tomorrow, I am bound to give it tomorrow. You please take your seat and let us proceed further.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

मुख्य प्रशासक, फरीदाबाद टाउनशिप तथा कम्पलैक्स द्वारा मजदूरों की कालोनी तथा खोखों आदि को गिराने सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री मंगल सैन, एम. एल.ए. से कालिंग अटैंशन मोशन न. 1 और री महेन्द्र प्रताप सिंह, एम.एल.ए. के कालिंग अटैन्शन मोशन न. 10 (कांलिग अटैंशन मोशन न. 1 के साथ ब्रैकेटिड) regarding demolishing of labourers colony and stalls etc. by Chief Administrator, Faridabad Township and Complex के नौटिसज मिले थे। मैं उन्हें ऐडमिट करता हूं। अब मंगल सैन जी अपना नोटिस पढ़ दे और उनके बाद यदि कंसर्न्ड मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट देना चाहे तो दे दें।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संख्या 1

***श्री मंगल सैन**: स्पीकर साहब मैं इस महान सदन का ध्यान एक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि फरीदाबाद टाऊनशिप तथा काम्पलैक्स के मुख्यमं प्रशासक ने पिछले दिनों बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये संजय कालोनी के मजदूरों कोा उजाड़ दिया, जो कि वहां पर पिछले 30–40 वर्शो से रह रहे थे। उसने छोटे छोटे दुकानदारों को जोकि कई वर्शो

से ''तहबजारी'' देकर खोखों में अपना धंधा, चलाकर अपने परिवारों का पेट पाल रहे थे, उजाड़ दिया। यही नहीं, राजनैतिक कारणों से बड़े लोगों के अवैध निर्माण छोड़ दिये गये। जहां प्रशासन ने कोई पक्ष लेना था, किन्ही कारणों से उसे छोड़ दिया।

उक्त भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में कई दिन तक बाजार बन्द रहे, इसके अतिरिक्त मुख्य प्रशासद की प्रतिशोध की भावना यहां तक पहुंच गई कि उस क्षेत्र के विधायक के सैक्टर–1–डी जहां उनका निवास है, मैं कई दिन तक सफाई नहीं होने दी जिसके कारण सारे क्षेत्र में गन्दगी फैली हुई है। कभी भी हैजा महामारी का प्रकोप होने का भय है।

इस ध्यानाकर्शण प्रस्ताव द्वारा मैं सरकार का ध्यान अत्यधिक लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चाहता हूं तथा सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पश्ट करें।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संख्या 10

(ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संख्या 1 के साथ ब्रैकेटिड)

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंहः मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसने फरीदाबाद के लोगों के मस्तिश्क को झकझोर कर रख दिया है।

26 जुलाई, 1988 को भरपूर वर्शा ऋतु में जबकि कोई भी व्यक्ति अपने घर से किसी भी अजनबी को निकालने की नहीं सोच सकता ऐसी हालत में इस निर्दयी सरकार ने गरीब मजदूरों को उनके पुराने रिहायशी मकानों को बुलडोजरो से गिरवा कर उन्हें बेघर कर दिया और आज भी वे सैकड़ों की संख्या में बेघर परिवार दूसरों के घरों में अपने सिर छिपाने को मजबूर हो गये हैं। इन निर्धन लोगों के कई वर्श पहले से अपनी कश्ट कमाई तथा ऋण लेकर सिर छिपाने का आश्रय बनाया था उसे भी छीन लिया गया। यहां तक कि उन पर तथा उनकी पत्नियों पर लाठी चार्ज किया गया।

इसके अतिरिक्त फरीदाबाद के विभिन्न सैकटरों में 6 से 10 वर्श पुरानी दुकानों को विशेशकर सैक्टर 7, 15 10 , 16 17, तथा 18 में न्यायालय के स्टे आर्डरों के दिखाने के बावजूद तोड़ दिया गया। उनके जीवन–निर्वाह के साधन को खत्म कर दिया। न्यायालय के आदेशों की अवमानना करके उन्होंने न्यायपालिका की भी धज्जियां उड़ा दी। एक ओर तो प्रशासन इन दुकानों को नियम व कानून के विरूद्ध बनाई हुइ कहता है दूसरी ओर सैक्टरों में निर्मित सरकारी मार्केट में जहां न्यायालय चल रहे हैं, स्कूलों तथा सैक्टरों में बने सरकारी कम्यूनीटि हालों में सरकारी दफतर चल रहे हैं उन्हें नियम व कानून की अवमानना नही मानता जबकि एक सैक्टर की मार्केट इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये अपर्याप्त है। ये दुकानें लोगों ने अपने मकानों में बनई हैं। ये लोग अपना

जीवन निर्वाह करने के साथ जनता को रोजमर्रा की वस्तुयें प्रदान करके सेवा भी कर रहे हैं। किसी को उनसे कोई तकलीफ व शिकायत नहीं है।

दूसरी तरफ शहरों व जी.टी. रोड़ पर एक वर्श के अन्दर कई सौ दुकानें बिना किसी मन्जूरी व योजना के बनकर तैयार हो गई हैं। वहां नियम व कानून की अवमानना नहीं है। फरीदाबाद की जनता आवाज देकर कह रही है कि सत्ताधारी नेताओं ने करोड़ों रूपयों का सौदा व हिस्सा रखकर इन दुकानों को बनवाया है और ये दुकानें एक दिन निममित कर दी जायेंगी परन्तु इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। गरीब व छोटे दुकानदारों की करोड़ों रूपयै की सम्पति नश्ट कर दी गई है। चारों तरफ भय व आतंक का वातावरण छाया हुआ है। कैसी विडम्बना है कि लोक लाज की दुहाई देने वाली सरकार ने लोक लाज की ही धज्जियां उड़ा कर रखी दी है। विकास की बजाय विनाश किया जा रहा है।

यदि जनता की महान शक्ति पर बनी सरकार उसे ही कुचलना शुरू कर दे तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसका पतन अवश्यम्भावी है। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार जनता के आक्रोश को शान्त करने के लिये सरकार ने तोड़ फोड़ बन्द करने के आदेश देकर एक पांच सदस्यों की जांच कमेटी बनाने का नाटक किया है। लेकिन अभी भी तोड़–फोड़ की जा रही है और यह कमेटी भी निश्पक्ष न होकर एक सरकारी कमेटी ही है। इसकी जांच निश्पक्ष न होकर सरकार

के इशारें पर होगी। इस जांच कमेटी में सभी प्रमुख राजनैतिक दलों व सामाजिक संस्थाओं के निश्पक्ष ईमानदार व प्रतिश्ठित व्यक्ति होने चाहिएं। इसके अतिरिक्त तोड़ फोड़ रोकने के लिये सरकार तुरन्त प्रभावी आदेश जारी करे तथा जनता को उसके नुकसान का भरपूर मुआवजा प्रदान करे, उन कसूरवावार व्यक्तियों को सजा दे जिन्होंने जनता को पीड़ित किया है। इस मामले की जांच सर्वदलीय जांच समिति द्वारा कराई जाये।

अतः मैं इस महान सदन के सम्मुख अत्यधिक लोक महत्व के विशय पर ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पेश करता हूं। इस सम्बन्ध में सरकार तुरन्त एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य –

गृह मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि अनाधिकृत निर्माणों को गिराने के सम्बन्ध में ये ध्यानाकर्शण नोटिस माननीय सदस्य सर्वश्री मंगलसैन तथा महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फरीदाबाद शहर में व्यवसायिक तथा रिहायशी भवनों के निर्माण से सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाओं और तथ्यों की गलत फहमी के कारण दिये गये हैं। माननीय सदस्यों को यह तथ्य ज्ञात है कि फरीदाबाद एक योजनाबद्ध शहर है और इसकी भूमि का प्रयोग फरीदाबाद मिश्रित (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1971 द्वारा नियंत्रित और नियमित होता है। इस अधिनियम के

तहत उन क्षेत्रों जो हरित पट्टी के रूप में आरक्षित है, मैं किसी प्रकार से निर्माण की आज्ञा नहीं दी जा सकती और इसी प्रकार रिहायशी क्षेत्रों में किसी व्यवसायिक भवन की अनुमति नहीं दी जा सकती। वास्तव, में व्यवसायिक स्थलों की नीलामी की जाती है और व्यवसायिक भवनों के निर्माण केवल निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार ही किये जा सकते है।

पिछले 2 दशकों के दौरान फरीदाबाद मिश्रित क्षेत्र के विभिन्नय भागों में अनाधिकृत निर्माण होते रहे हैं, हजारों गरीब लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर छोटी–छोटी रिहायशी इकाईयां, जिन्हें झुग्गी कहा जाता है, बना लिये थे और कुछ भागों में रिहायशी मकानों को व्यवसायिक इकाईयों में परिवर्तित किया गया था। कुछ गैर–जिम्मेदार लोगों ने भी हरित पट्टियों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिये अंकित भूमि पर व्यवसायिक तथा रिहायशी भवन बना लिये। यह देखा गया था कि निकट अतीत में सार्वजनिक स्थानों पर नाजायज कब्जा करने और अनाधिकृत निर्माण करने की प्रवृति बढ़ गई थी। इसलिये सरकार ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक भूमि से अनाधिकृत निर्माणों और नाजायज कब्जों को हटाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाए जाएं ताकि देशकी राजधानी के नजदीक का यह शहर बहुत गंदा क्षेत्र न बन जाए।

फरीदाबाद मिश्रित क्षेत्र में लगभग 35000 झुग्गी हैं, जोकि सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत रूप से बनी हुई हैं,

लेकिन इनमें से किसी को भी न तो गिराया गया है और न ही हटाया गया है। वास्वत में सरकार झुग्गी–वासियों को नये स्थानों पर जान के लिये कहने से पहले वैकल्पिक स्थान प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है। फिर भी फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन ने 300 अनाधिकृत व्यवसायिक दुकानों को गिरा दिया है और सार्वजनिक स्थानों से 150 नाजायद कब्जे हटा दिये हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भी लगभग 200 दुकानें गिरा दी हैं जो कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम की उल्लंघना में रिहायशी क्षेत्रों में बनाई गई थी। लेकिन संजय कालोनी, फरीदाबाद में कोई मकान नहीं गिराया गया है। फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन ने संजय कालोनी से लगते हुए क्षेत्र में मकान गिराये हें, जो कि मुख्य योजना (मास्टर प्लान) के अनुसार हरित पट्टी के अन्तर्गत आता है। बढ़खल सड़क पर लगभग 90 एकड़ क्षेत्रफल का यह क्षेत्र मैसर्ज स्काईलाईन बिल्डर्ज द्वारा शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 की उल्लंघना में विभाजित करके बेच दिया गया थ। प्रौपर्टी डीलरों ने हरियणा सरकार से अनुमति/लाईसैंस प्राप्त किये बिना इस कालोनी का नाम स्काईलाईन बिल्डर्ज रखा हुआ है। इस क्षेत्र में कुल 79 निर्माण गिराये गये हैं जिनमें 44 चार दीवारियों, 26 दुकानें जोकि 100 फुट चौड़ी सड़क के किनारे पर बनाई गई थी और 9 मकान जोकि प्रशासन से नक्शे पास करवाये बिना बनाये गये थे, शामिल हैं। खोखों में व्यापार कर रहे छोटे दुकानदारों को उजाडनें के सम्बन्ध में निवेदन है कि फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन ने लगभग 80 लकड़ी के बने स्टालों को भी हटाया है

जोकि फरीदाबाद के सैक्टर–2 की शामलात भूमि पर नाजायज कब्जा किये हुए थे। यह क्षेत्र राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के पीछे स्थित है और कन्या छात्रों के लिये नियमित परेशानी का कारण था। वहां 13 दुकानदार थे जोकि प्रशासन को तहबाजारी अदा कर रहे थे और उनमें से प्रत्येक को 100 वर्गगज के वैकल्पिक प्लाट प्रशासन द्वारा उपयुक्त दरों पर पहले ही दिये जा चुके हैं।

यह आरोप गलत है कि सैक्टर–1 डी का क्षेत्र गन्दगी से भरा हुआ है। इस क्षेत्र की एक या दो दिन सफाई नहीं हो पाई क्योंकि क्षेत्र के निवासियों के दुर्व्यवहार व धमकी के कारण सफाई अमला हड़ताल पर चला गया था। इस हिस्से में हैजे की बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं है।

यह सत्य नहीं है कि मकानों के गिराने के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात किया गया है। यह काम निर्धारित कानूनी पद्धति के अनुसार किया गया है और केवल उन्हीं भवनों को गिराने से छोड़ दिया गया है जिनके सम्बन्ध में सिविल अदालतों से स्थगन आदेश प्राप्त हुये थे। यह भी असत्य है कि सिविल अदालतों से प्राप्त स्थगन आदेशों को इन अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के अभियान में किसी अधिकारी द्वारा नजर अन्दाज किया गया था।

इस कार्य के विरूद्ध प्रतिवेदन आने पर सरकार ने उपायुक्त, श्री सुरेन्द्र मोहन, भूतपूर्व सांसद श्री रणजीत सिंह, विधायक श्री सुभाश सेठी और श्री एच.के. संघी की एक समिति गठित की थी। इस समिति ने श्री शिव प्रसाद विधायक को सदस्य के रूप में नियुक्त (कोआपट) किया था। समिति को अनाधिकृत कब्जों को निर्धारित करने का काम सौंपा गया थां इस समिति के मुखिया उपायुक्त, फरीदाबाद थे और समिति ने स्थलों का निरीक्षण करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट में यह अवलोकन किया है कि प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और मुख्य प्रशासक, फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन ने अनाधिकृत निर्माणों को कानून और नियमों के अन्तर्गत ही गिराया गया था और फरीदाबाद में कोई भी अनुमोदित रिहायशी मकान नहीं गिराया गया है। इस पृश्ठभूमि के दृश्टिगत सरकार यह आवश्यक और वांछनीय नहीं समझती कि इस मामले की जांच के लिये दूसरी समिति का गठन किया जाये। मकानों को गिराने का काम सरकार के वरिश्ठ अधिकारियों की सीधी देख–रेख में किया गया था और समय–समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यक्तिगत स्तर पर कार्य का पुनरीक्षण किया है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से सप्लीमैंटरी की बजाये कुछ कहना चाहूंगा और जो कुछ भी कहूंगा बिल्कुल शान्ति से कहूंगां (विघ्न)

Mr. Speaker: No please. There is no provision for that. You can just put one question to seek clarification.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो कुछ कहा है कि उसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है लेकिन सारी बातें ठीक नहीं हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं ....(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: No, you cannot do like that. You can only put a question. I cannot swallow the Rule.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि * * * *

श्री अध्यक्ष: यह कुछ रिकार्ड न किया जाये।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker: No, no, Mahender Partap Ji, you please take your seat. This will not be recorded.

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, आपने बड़ी कृपा कि मेरे द्वारा दिए गए काल अटैन्शन मोशन को ऐडमिट कर लिया तथा इस महत्वपूर्ण विशय पर सरकार को स्थिति स्पश्ट करने के लिये अवसर दिया। स्पीकर साहब, यह ठीक है कि सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी के लोग कुछ स्थानों पर गए और उन्होंने उन स्थानों को देखा। प्रोफैसर सम्पत सिंह जी, क्या उस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात शामिल है कि तिकोना

पार्क में जो दुकानों गिराई गई हैं उनके साथ मेवला महाराजपुर यानी ओल्ड फरीदाबाद में बनी श्री पुरूश भान की दुकानों को गिराने की सिफारिश भी की गई है जबकि कुछ अनअथोराइज्ड मकान और दुकानें गिराई नहीं गई और उन्हें छोड़ दिया गया है?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो अनअथोराइज्ड मकान और दुकानें गिराई गई हैं उनके लिए बाकायदा सी.ए., एफ. सी.ए. को डायरैक्शन्ज दी गई और सी.ए., एफ.सी.ए. ने रूलों के मुताबिक कार्यवाही की। जो मकान और दुकानें गिराई नहीं गई उसके बारे में ऐसा है कि काफी केसिज में कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। गवर्नमैंट अपनी तरफ से यह पूरी कोशिश कर रही है कि कोर्ट का स्टे वैकेट हो। कोर्ट का स्टे वैंकेट होते ही पांच मिनट में वे दुकानें और मकान जमीन पर गिरा दिये जाएंगे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, मैंने इनसे एक और बात पूछी थी और उन्होंने फरमाया कि वहां पर गन्द के ढेर इसलिये थे क्योंकि हड़ताल हो गई थी। इसी वजह से वहां सफाई नहीं हो सकी। स्पीकर सर, डिप्टी कमिश्नर कहता है कि चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर मेरी बात नहीं मानता। चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर यह कहता है कि आई.ए.एस. केडर में उसे जूनियर आई.ए.एस. को डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया है। इस प्रकार इन अधिकारियों के बीच विवाद चल रहा है। क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात है और क्या उन दोनों के इस विवाद को हल करने के लिये वे दोनों अधिकारियों का वहां से तबादला करेंगे?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इस प्रकार की बात नहीं है और न ही ऐसा कोई विवाद ही चल रहा है। दोनों आई.ए. एस. अधिकारियों में पूरा तालमेल है और काम बिल्कुल ठीक चल रहा हे।

वाक आउट

Mr. Speaker: Mahender Partap Ji, you can put one question only seek further clarification on the statement.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले मेरे भाई के बारे में कुछ बात कही गई थी इसलिये मैं आपसे उस विशय पर कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: ''पहले'' और ''पीछे'' की बात नहीं है आप केवल सवाल ही पूछें।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये। Mahender Partap ji, you please take your seat.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): ईमानदारी और कांग्रेस का तो कोई मेल नहीं है। स्पीकर साहब, इस बारे में मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। डा. राम मनोहर लोहिया ने एक पुस्तक लिखी

थी पैम्फलैट टाइप ''मेरा अढ़ाई दिन का दौरा राजस्थान का''। उस पुस्तक में उन्होंने श्री सुखाड़िया की बड़ी तारीफ की थी कि वे बड़े काबिल हैं, बड़े अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़े लायक हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर कुम्भा राम को होना चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि चौ. कुम्भा राम की ईमानदारी कैसी है तो जवाब था कि अगर ईमानदार ही होते तो फिर काग्रेस में ही रहते? ईमानदारी का भला क्या मेल?

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: चौ. साहब भी तो पहले कांग्रेस में ही थे।

श्री अध्यक्ष: चौ. महेन्द्र प्रताप जी, आप प्लीज बैंठे।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष साहब, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाए।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अगर हम बोल भी नहीं सकते तो फिर यहां बैठने का क्या फायदा है? मैं वाक आउट करता हूं। (शोर)

(इस समय चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह कुछ बोलते हुए सदन से बाहर चले गये।)

बिल्ज–

(i) दि पंजाब शडयूल्ड रोडन एंड कन्ट्रोलड एरियाज रिस्ट्रिक्शन औफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1988.

श्री अध्यक्ष: अब इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर साहब दि पंजाब शडयूल्ड रोडज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन औु अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1988 को इंट्रोडयूस करेंगे और उसे कंसीडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister: (Shri Verender Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of the Unregulated Development (Harayana Amendment) Bill, 1988.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, इस बिल के बारे में मैंने कुछ कहना है। यह बिल बड़ा हार्श बनाया है। अब तक पुलिस वाले कोगनिजेन्स नहीं ले सकते थे लेकिन अब ले सकेंगे और एक लैवल का अफसर बना दिया जो उनको

(औफन्डर्ज) पकड़ सकेगा। स्पीकर साहब इसमें सजा भी बता दी है और साथ ही यह भी कर दिया कि जिसे नो–औब्जैक्शन सर्टिफिकेट मिल जायेगा वही बना सकेगा। मैं अपने लायक दोस्त को कहना चाहूंगा कि नो–औब्जैक्शन सर्टिफिकेट के नाम पर कहीं करप्शन ज्यादा न बढ़ जाये। इस बात का भी वे ध्यान कर लें क्योंकि वह कांग्रेस से हमें विरासत में मिली हे। स्पीकर साहब, कुछ ऐसे पुर्जे हैं जो हर जगह पर फिट हो जाते हैं। इसलिए उनसे सरकार को खबरदार रहने की आवश्यकता है। स्पीकर साहब, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं कि मेरे साथी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी तो वैसे ही बौखला जाते हैं। आपको इन एम.एल.एज. की ट्रेनिंग क्लास लगानी चाहिए। इसलिए आप मैम्बरान को अलग बैठा कर समझा दें क्योंकि यह औगस्ट हाउस है। औगस्ट हाउस में कोई बात कही जाये तो वह लाइट–वे और हयूमर में कही जाये। यहां पर वलगर बात नहीं होनी चाहिए। वलगेरिटी आप पर भी रिफलैक्ट करती है कि चेयर चुपचाप सुनती रही। इसलिए मैं और ज्यादा बात न कहता हुआ ट्रैजरी बैंचिज और अपोजीशन के भाइयों से कहूंगा कि वे औगस्ट हाउस में ठीक तरह से बात करें। अ हाउस में अपोजीशन तो बेचारी थोड़ी ही रह गई है। केवल तीन चार मैम्बर्ज ही हैं। उनका भी पता नहीं, बेचारे चुपचाप प्रोग्राम बना कर चले जाते हैं। आखिर डेमोक्रेसी है, अपोजीशन की एक जगह है, उन्हें समझ होनी चाहिए कि किस बात को किस वक्त कहना है। हर बात में उलझ कर खड़े हो जाना कोई अच्छी बात नहीं। दूसरे यहां कोई अदालत नहीं है कि

हल्फिया ब्यान देना है, जबान से कहने वाली बात है। वे होम वर्क करते नहीं, शाम को घूमते रहते हैं फिर यहां ऐसी बातें करते हैं। शाम को मेज पर बैठना पड़ता है, कागज देखने पड़ते हैं। आपने चाहे बोलना है या नहीं लेकिन होम वर्क करना जरूरी है। इसलिए मैं अपने लायक दोस्त मंत्री महोदय से कह रहा था कि यह जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन औफ सरटन डौकुमैंट की बात कही है –

श्री वीरेन्द्र सिंह: डाक्टर साहब, आप तो दूसरे बिल की बात कर रहे हैं।

श्री मंगल सैन: दोनों बिल में ही पुलिस की डयूटी लगा रही है इसलिए गलती से यह हाथ लग गया। (विघ्न)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, दरअसल तो इस बिल पर बोलने की स्टेज गुजर चुकी थी। यह कोई स्टेज इस बिल पर बोलने की नहीं थी। परन्तु डाक्टर साहब ने तो मुझे आज एक बहुत पुरानी सच्ची कहानी याद दिला दी। एक हमारे वकील साथी होते थे – बाबू कुंज लाल। कचहरी खत्म होते ही रात को कल्ब में चले जाते थे। सुबह उठकर मुंह धोकर क्लब से कचहरी आ जाते थे। एक दीवानी की अपील थी। वह ऐपीलान्ट की तरफ से नहीं बल्कि रिस्पौंडैंट की तरफ से थे। सीनियर सब–जज की अदालत में खड़े हुए। ऐपीलांट ने जो कुछ आर्गुमैंटस करनी थी, वह सारी उन्होंने कह डाली। सीनियर सब–जज ने कहा, बाबू जी, आप तो रिस्पौंडैंट की तरफ से हो।

इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो यह कह रहा था कि ऐपीलांट के वकील यही कुछ कह सकते हैं और अब मैं इसके जवाब में अपने आर्गुमेंटस देता हूं। (हंसी) डाक्टर साहब को जो ऐक्ट थियाआ, वह उसी पर बोलते रहे।(हंसी)

श्री मंगल सैन: दोनों में पुलिस का प्रोवीजन है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने इस बिल में पुलिस पावर्ज का और एन.ओ.सी. का जिक्र किया। एन.ओ. सी. तो अगले बिल में है। जहां तक पुलिस पावर्ज का ताल्लुक है, जैसे कि आप सब माननयी सदस्यों को यह पता है कि अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शान की बीमारी बड़ी भारी है और बहुत तेजी से फैल रही है। समाज का वह तबका किसी की भी लिहाज नहीं करता और लूटपाट पर लगा हुआ है। वह बुरी तरह से इन्नोसैन्ट लोगों को ऐक्सप्लायट कर रहा है चाहे वह परचेजर है या व सैलर है। आज इस किस्म का तबका पैदा हो गया है जो फटाफट कहीं न कही से जमीन हेरा–फेरी से खरीदकर और लोगों को बहका कर बेचता रहता है। करोड़ों–लाखों रूपये का वे मुनाफा कमाते हैं। इस बीकारी को रोकने के लिये इस ऐक्ट को स्ट्रिक्ट किया गया है। इसमें कुछ स्ट्रिन्जैंट प्रोवीजन किये गये हैं। मैं डाक्टर साहब को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसका नाजायज इस्तेमाल कतई तौर पर नहीं किया जायेगां लेकिन हमारी यह सरकार यह भी नहीं चाहती कि इस सरकार के होते हुए ऐसे लोग पनपें जिनको समाज में किसी का लिहाज न हो

और केवल पैसा प्यारा हो। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पूरी एक ध्वनि से पास करें क्योंकि यह बहुत बढ़िया बिल आया है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन औफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 1988

श्री अध्यक्ष: अब टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग मिनिस्टर दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन औफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 1988 को इन्ट्रोडयूस करेंगे और उसे कंसीडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे!

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendements) Bill,1988.

Sir, I also move-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

11.00 बजे

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, श्री वीरेन्द्र सिंह ने ठीक ही वकील की मिसाल दी। मेरी हुलिया तो उतना खराब नहीं है जितना उन्होंने समझा। दो बिल आइडैन्टिकल थे इसलिए मैं कह बैठा। हो सकता है कि वकालत के पेशे में उनका यह तजुर्बा रहा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि पिछले रिजीम में इस किस्म का ऐलीमैंट पनना था जिसने अनाप–सनाप पैसा कमाय और जगह–जगह जमीन लेकर प्लाट के रूप में बेचा। जमीन जमींदार के नाम थी ओर प्राईवेट आदमियों ने प्लाट बेचे और वे लोग बीच में पैसा खा गए। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को अन्यथा न लें। Necessity is the mother of invention. हुड्डा मकान और प्लाट देने वाली हमारी एक ऐजेन्सी है। हुड्डा की क्या हालत है, यह किसी से छिपी नहीं है। हुड्डा के बारे में जितने ब्यान दिए उतने ही उलझते चले गए। जो नोबल और पायस काम होते हैं उनको करना सरकार का फर्ज बनता है। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। मकान सिर ढ़ांपने के लिए चाहिए। इसके लिए हुड्डा अपीन परफारमैंस पूरी नहीं निभाता। इसलिए प्राईवेट एजेन्सियों को प्रोत्साहन मिलता है। जब तक म्यूनिसिपल चुनाव होंगे तक तब हमारे ऊपर एक आफत

रहेगी। लोग कहेंगे कि हमारे यहां नाली बनवाओं और अगर नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे। इस जगह पर नकला लगवाओ, यह सड़क बनवाओं वरना वोट नहीं देंगे। अडल्ट फ्रैन्चाइज में वोटर बड़ा है। वोटर को नाराज नहीं किया जा सकता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कही पर अनअथौराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है तो सरकार द्वारा उस पर जरूर रोक लगाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में जो कांड हुए उसके बारे में काल अटैन्शन के जरिए कुछ बातें तो सामने आई लेकिन उसकी जड में यह अवश्य है कि अफसरों ने मिलकर लोगों को पैसा बनाने का मौका दिया। मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा। जो मन में बात आई है उसे अवश्य कहूंगा। वह बात यह है कि पहुंच वाले व्यक्तियों को उसमें हाथ है। स्पीकर साहब, इस सरकार का पहला नारा है कि भ्रश्टाचार बन्द, बिजली पानी का प्रबन्ध। बीच वाली बात तो पूरी हो गई लेकिन पहली और तीसरी बात होनी बाकी है। मास्टर जी कह रहे थे कि धीरे–धीरे भ्रश्टाचार बन्दर करेंगे, यह शब्द मुझे अटपटा सा लगा।

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): मैंने यह कहा था कि धीरे–धीरे बन्द होगा।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब गरीब आदमी यह देखता है कि मेरा मकान टूट रहा है लेकिन बड़े आदमी और धन्ना सेठों के मकान नहीं टूट रहे हैं तो उसके मन में विद्रोह पैदा होता है। मेरा किसी

व्यक्ति विशेश को लक्ष्य बनाना नहीं है। मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि आदरणीय मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी के साथ ज्यादती न हो ओर किसी के साथ कोई पक्षपात न हो। जो बिल ये हमसे पास करवाना चाहते हैं वह तो हम करेंगे ही क्योंकि हम तो बन्धे हुए गुलाम हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: रघु यादव जी अब आप बोलें लेकिन कृपया दो मिनटस से ज्यादा समय न लें।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही सीरियस मैटर है।

Mr. Speaker: Every thing that comes in the House is serious and important.

श्री रघु यादव (रेवाडी): अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक सदन के सम्मुख रखा है उसके पीछे यह भावना प्रतीत होती है कि अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बीमारी हरियाणा के तमाम बड़े और छोटे शहरों में है और उसका रोका जाना बहुत जरूरी है। कानून और ऐसे प्रावधान पहले ही बहुत मौजूद है, लेकिन कभी निगरानी/चौकरी नहीं बरती गई और अवैध निर्माण होते चले गए। अध्यक्ष महेादय, ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण को रोकने के लिये कोई अधिकारी या व्यक्ति तैनात नहीं होते हैं। आज ही हम इन्हें तैनात करने नहीं जा रहे हैं। इसके लिये शुरू

से ही अधिकारी तैनात थे। फिर यह अवैध निर्माण कैसे हुआ? अध्यक्ष महोदय, बाड़ खेत को बचाने के लिये होती है और अगर बाड़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर उस खेत का भगवान ही मालिक है। यह संशोधन बिल यहां पर लाया गया है। लेकिन जब तक हम चौकसी करने वालों को दुरस्त नहीं करेंगे तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी पीछे ही फरीदाबाद में अवैध निर्माण को गिराने का जो काम हुआ है, वह सराहनीय है। लेकिन वह जो अवैध निर्माण था, वह कोई रातों–रात तो खड़ा नहीं हो गया था। उसके खड़े होने में कई साल लगे होंगे। ऐसा ही अवैध निर्माण हरियाणा के दूसरे कस्बों और नगरों में भी हुआ है और यह अवैध निर्माण सम्बन्धित इंजीनियर्ज, प्रशासनिक अधिकारियों को रिश्वत खिला करके और राजनीतिज्ञों को साथ ले करके ही होते हैं। इमने जब एक अवैध निर्माण तोड़ा तो उससे गरीब आदमी जिसका वह अवैध निर्माण था, को लगभग 50 हजार, एक लाख या दो लाख रूपये का नुकसान हो गया उसकी गाढ़ी कमाई ढेर हो गई। लेकिन जिनकी मारफत उस गरीब ने जमीन खरीदी थी और जिन अफसरों ने इस लूट में हिस्सेदारी की थी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। बड़े–बड़े दुकानदार, पूंजीपति और भ्रश्ट अधिकारी लाखों रूपये डकार कर चले गये। गरीबों ने तो अधिकारियों और सफेदपोशों के सरंक्षण को देखते हुए वह निर्माण कर लिया था। उसे इस बात का क्या पता था कि इस तरह

अचानक उसकी सारी कमाई ध्वस्त हो जाएगी? अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो अवैध निर्माण फरीदाबाद में गिराया गया है और जो अवैध निर्माण रोहतक, रिवाड़ी और हिसा में खड़े हैं, यह सारा अवैध निर्माण किन–किन अधिकारियों के कार्यकाल में हुआ, इस बात की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिनकी निगरानी में कमी के कारण, जिनके भ्रश्ट आचरण की वजह से यह सारा काम हुआ है उनको जब तक दण्डित नहीं किया जाएगा तब तक न चौकरी करने वाले सुधरेंगे और न ही अवैध निर्माण रूक पाएगा। अन्त में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों का अवैध निर्माण करवाने में हाथ है, उनको नंगा किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिह चौधरी (फतेदाबाद): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधित बिल को यहां लाकर सरकार ने बड़ी ही सराहनीय कदम उठाया है। हरियाणा को एक प्रोग्रैसिव स्टेट बनाने के लिये इस बिल का लाना बड़ा जरूरी था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूगा कि इतनी सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी? यह हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी है या अर्बन डिस्ट्रक्शन अथौरिटी है? इस बिल से तो ऐसा लगता है कि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी पिछले 20–25 सालों से अर्बन डिस्ट्रक्शन अथौरिटी साबित हो रही है। इतने सख्त मैयर्ज की आवश्यकता

क्यों पड़ी? सरकार ने अभी तक इसकी जाचं क्यों नहीं करवायी? पिछले दिनों हुड्डा से सम्बन्धित एक मामला उठा था, उस मामले में सरकार ने कोई इन्क्वायरी नहीं करवायी। जहां तक हमारे नेताओं का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि शायद कोलोनाईजर्ज ने उनको चाय का कप तक भी औफर न किया हो लेकिन उन पर करोड़ों रूपया ऐंठने का इलजात लगा दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि बेकसूर जो प्लाट होल्डर्ज थे उनको नुकसान हुआ। उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ा। ऐक्सटर्नल डिवैल्पमैंट चार्जिज को जो पैसा अरबपतियों, कारखानेदारों और बड़ी फैक्टरियों पर पड़ना है, अब वह पैसा गरीब प्लाट होल्डर्ज पर डाल दिया गया। हुड्डा के इस ऐक्शन के कारण हरियाणा में प्लाटस बहुत महंगे हो गये। जो ऐक्सटर्नल और इंटर्नल डिवैल्पमैंट चार्जिज बनते थे वह टोटल मिलाकर के केवल ऐक्सटर्नल डिवैल्पमैंट चार्जिज अब तक इतने लगाये गये है कि उस कारण से और गल्त काम हुए जिसकी सरकार ने अभी तक कोई जांच नहीं करवाई। आज इस सख्त मैयर्ज की जरूरत क्यों पड़ी? हुड्डा के प्लाट जो लोगों को औफर किए जाते हैं वे इतने महंगे है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। अम्बाला कैंट जो चण्डीगढ़ के नजदीक है और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है वहो पर हुड्डा के कोई कालोनी ऐप्रूव नहीं की। आज अगर अम्काला कैट में बुलडोजर फेरने की बात करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि हमारी यह पापुलर गवर्नमैंट न होकर, वैलफेयर गवर्नमैंट न होकर एंटी पीपल गवर्नमैंट होगी। 157 प्लाट होल्डर्ज उन लोगों की वजह से

नुकसान उठा रहे हैं जो लोग आज केन्द्र में ताकत में बैठे हुए हैं और जिसको हाजी मस्तान कहा जाता था। आज हमारे अफसर इस तरह की एंटी पीपल पालिसी बना रहे हैं। जिन लोगों ने नेशनल हाई–वे पर अपनी दुकानें बनाई हुई हैं उनको साढ़े बारह हजार रूपये पर–एकड़ कम्पनसेशन दे रहे हैं और उनके निर्माण की कास्ट नहीं दी जात रही। जबकि उसके पीछे ऐग्रीकल्चरल लैंड का 75 हजार रूपए पर–एकड़ रेट है। यह बहुत बड़ा अनथ्र है तो मकान या बिल्डिंगे तोडने का प्रोग्राम है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैंम्बर साहब को बिल पर बोलना चाहिए लेकिन ये कुछ और ही बोल रहे हैं। इसमें हुड्डा की चर्चा की बात नहीं है। ये बिल पर बोलें, ये तो बिल्कुल ही इर–रैलेवैंट बोल रहे हैं। बराए मेहरबानी ये बिल को पढ़ कर बिल पर ही बोलें।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: मेरा यह कहना ह कि यह जो हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन औफ अर्बन एरियाज का बिल है इसमें एक छोटा सा संशोधन यिका जाए कि जो निर्माण तीन साल के ऊपर कै हैं उनको अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन न माना जाए जैसे कोई किसी जमीन को यदि 6 महीने तक काश्त कर लेता है तो उसको उस जमीन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए तीन साल से ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन है या तो उसको तोड़ा न जाए या उसके मालिक को आल्टरनेटिव जगह दी जाए ओर पहली कंस्ट्रक्शन का पूरा मुआवजा दिया जाए। मैं यह अमैंडमैंट अपनी

तरफ से पेश करता हूं। मैं चाहता हूं कि तीन साल से ज्यादा पुराने निर्माण को इस तरह सख्ती से न हटाया जाए और इस बिल को सही ढंग से लागू किया जाए। अगर इस भावना के साथ इस बिल को पास किया जाए तो मैं इसका समर्थन करता हूं और यह हरियाणा को प्रोग्रैसिव स्टेट बनाने के लिए जरूरी है। इसके अलावा हर शहर में जहां जहां जरूरत है महकते की तरफ से कालोनीज ऐप्रूव की जाएं और जमीन ठीक मूल्य पर दी जाए। लोग पैसा देने को तैयार हैं। (विघ्न) मैं इतनी ही प्रार्थना करना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री कांति प्रकाश भल्ला (कालका): अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक के बारे में मंत्री जी से एक दो बातें कहना चाहूंगा। इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि जो जमींदार अपनी एक हैक्टेयर जमीन से कम जमीन बेचेगा उसको भी उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए डायरैक्टर से परमिशन हासिल करनी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी कानून शिकनी करता है उसके खिलाफ ऐक्शन अवश्य होनी चाहिए लेकिन जो जमींदार अपनी जमीन बेचता है या अपनी प्रोपर्टी बेचता है, उसे बगैर परमिशन के बेचने का अधिकार होना चाहिए। जब कोई जमींदार अपनी एक हैक्टेयर से भी कम जमीन बेचना है तो उसको उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए डायरैक्टर से परमिशन लेने के लिए बाध्य न किया जाए। अगर उस जमीन पर कोई खरीदार बगैर इजाजत के तामीर करना चाहे तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाना

चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक हैक्टेयर से कम जमीन बेचने की रजिस्ट्री के लिए जमींदारों को डायरैक्टर से परमिशन लेने के लिए बाध्य न किया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि इस किस्म की कंस्ट्रक्शन जो बहुत पुरानी हैं जो पिछले तीन चार साल से कंस्ट्रक्शन की हुई है, इस किस्म की तामीरात सारे हरियाणा प्रदेश में हैं, मेरे हल्के में भी इस तरह की बहुत सी तामीरात हैं जो बहुत पहले बन चुकी हैं उनकी कंसिडर कर लिया जाए, तोड़ा न जाए। जो लोग अब नई तामीर करें उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नारायणगढ़ में एक केस हुआ। वहां पर जिन जमींदारों ने अपनी जमीन बेची थी उनके खिलाफ मुकदमें रजिस्टर हुए। वे छोटे छोटे जमींदार थे और शरीफ घराने से संबंध रखते हैं। उनको पुलिस ने हैरास किया और वे जेल की कोठड़ियों में बंद हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जमींदारों को अपनी प्रौपर्टी बेचने की रजिस्ट्री करवाने के लिए डायरैक्टर से परमिशन लेने के लिए बाध्य न किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों हुड्डा ने पंचकुला के अन्दर जमीन ऐक्वायर की थी और वह जमीन अढ़ाई सौ रूपए गज के हिसाब से खरीदी गई थी। इस संशोधन बिल के पास होने के बाद अगर जमींदारों को रजिस्ट्री के लिए डायरैक्टर की परमिशन के लिए बाध्य किया गया तो उन जमीदारों की जमीन के रेट बिल्कुल नीचे चले जाएंगे और इस तरह से उन जमींदारों को बहुत मुश्किलात

का सामना करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इस बिल के बारे में सरकार विचार करे। यदि यह बिल इस तरह से पास हो गया तो उन जमींदारों की जमीन के रेट बहुत घट जाएंगे। अगर कोई उस जमीन पर बगैर परमिशन के मकान बनाएं तो बेशक उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं इन बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

कामरेड हरपाल सिंह (टोहाना): स्पीकर साहब, इस बिल पर बोलने से पहले मैं एक छोटा सा गिला करना चाहूंगा कि जब हम सड़कों के बारे में बोलना चाहते हैं तो हमारे को वेयर हाउसिंग के बारे में बुलाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आज जो बिल आए हैं ये बहुत ही जरूरी बिल हैं और इनका आम पब्लिक के साथ लिंक है इसलिए इन पर पूरी बहस होनी चाहिए थी। जो भी बिल पास किया जाएगा वे ऐक्ट बन कर इम्पलीमैंट होना।

श्री अध्यक्ष: पहले आप यह सीख लें कि बिल पर कब बोलना हैं जब मिनिस्टर साहब बिल पर हुई बहस की रिप्लाई देना शुरू करते हैं उसके बाद आप बोलने के लिए खड़े होते हैं। That is not the stage जब बिल पर बोलना ही तो आप खूब बोलें।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब की रिप्लाई से पहल मैंने पिछले बिल पर बोलने के लिए आपसे बार–बार टाईम मांगा था लेकिन आपने टाईम नहीं दिया। उस

समय आपने यह कहा था कि आप नैक्स्ट बिल पर बोल लेना। उस बिल पर मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया। हम तो बोलने के लिए आपसे टाईम के लिए रिक्वैस्ट ही कर सकते है। स्पीकर साहब, एक तो हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि ऐसे बिल्ज पर सभी मैम्बर्ज को बोलने के लिए पूरा समय दिया जाए ताकि बिल के ऐक्ट बनने से पहले उस पर बहस हो सके और मैम्बर्ज के विचार सुने जा सकें।

श्री अध्यक्ष: अब आप इस बिल के बारे में जो बातें कहना चाहते हैं वे कहें।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं इस बिली पर बोलते हुए एक बात तो यह कहना चाहूंगा कि यह बिल ऐक्ट बनने के बाद कब से इम्पलीमैंट किया जाएगा इस बारे में कोई निश्चित तारीख देनी चाहिए थी। इस बारे में तारीख जरूर दी जानी चाहिए थी क्योंकि जो करप्शन के मामले हमारे सामने आए हैं उनमें हमने देखा है कि जमीनों पर अवैध निर्माण होते ररहे हैं और कुछ ले दे करके उनकी तुडवाया गया है। पिछली सरकारों की और दूसरे कई लोगों की यह इनटैंशन रही कि अवैध निर्माणों को तुडवा कर उस जमीन की खरीदी फरोख्त करते रहे हैं। जिस जमीन की रजिस्ट्री होती है उस पर सरकार के पूछे बगैर कोई कालोनी नहीं बनाई जा सकती लेकिन पिछली सरकारों के समय में आम लोगों को उजाड़ करके उनकी जमीनों पर कब्जा करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूगा कि जिन

लोगों ने ऐसी घटनाएं पैदा की हैं, इस बिल को लागू करके उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए। इस बिल को सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि अवैध निर्माण रोके जा सकें और खेती की जमीन को निर्माण के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला–महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अमैंडमैंट बिल हाउस के सामने रखा है उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, यह समस्या अकेले हरियाणा की ही नहीं है बल्कि समुचित देश की है। अन–अथोराइड कन्स्ट्रक्शन से हर समझदार आदमी दुखी होगा। जो अनाधिकृत कालोनीज बिना प्लानिंग की व्यवस्था के शहरों में बनती हैं उनमें पानी व दूसरी सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं मिल पाती। ऐसी कालोनियों की कोई भी समझदार आदमी पैरवी नहीं करेगां अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी जरूरी चीज यह है कि सरकार, नुमाइन्दे और अफसर सबके लिए ऐसी कालोनीज से एक सिरदर्दी पैदा हो जाती है और वह एरिया सलम बन जाता है। मैं समझता हूं कि उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, सबसे जरूरी चीज देखने वाली यह है कि अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के मूल कारण क्या हैं। जब तक हम मूल कारणों की तरफ नहीं देखेंगे बात बनने वाली नहीं है और कानून इतने कारगर साबित नहीं हो सकते जितने हम चाहते

हैं। जब तक हम इसकी जड़ के बुनियादी कारणों को नहीं पहचानेंगे तक तक कुछ होने वाला नहीं है। कानून तो पहले भी मौजूदा थे। लौगों ने उन कानूनों की उल्लंघना करके उन कानूनों की आड़ में हजारों कालोनियां बना लीं जिसकी वजह से बड़े बड़े शहर सलम एरियाज बने रहे हैं। कानून के होते हुए ही यह सब कुछ हुआ है। इसके बारे में भाई रघु जी ने काफी डीटेल में बताया है। इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। जब तक हम इन कारणों ककी तरफ नहीं देखेंगे तक तक हम इनका पूरा समाधान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक राय देना चाहता हूं। जहां तक किसान लोगों का सवाल है जिसके बारे में वीरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे किसान लोगों की जमीन का मुआवजा सरकार तो 12 हजार रूपये प्रति एकड़ से लेकर 70 हजार रूपये प्रति एकड़ देती है जबकि जो डीलर्ज है वे किसान को उसकी जमीन की कीमत अढ़ाई लाख प्रति एकड़ से तीन लाख प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं जिनकी वजह से किसान अपनी जमीन को सरकार को देने की बजाये डीलर्ज को देना अधिक पसंद करते हैं। यह अलब बात है कि सरकार भरपूर मुआवजे का आश्वासन देती है। जिन लोगों को अपनी जमीन का पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता वे लोग कोर्ट में चले जाते हैं और फिर सरकार से अपनी जमीन का उचित मुआवजा लेते हैं और वह मिल भी जाता है। इसलिए इन बातों को देखते हुए किसान का रूझान अपनी जमीन देने का सरकार की तरफ होने की बजाये डीलर्ज की तरफ रहता है। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा कानूनी लकूना आता है यानी

किसी जमीन को ऐक्ववायर करते समस धारा 4 और 6 के जो नोटिस इशू होने चाहिएं वे ठीक प्रकार से इशू नहीं हो पाते। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि कन्ट्रोल्ड एरिया में जब दफा 4 लगा दी जाती है तो कन्स्ट्रक्शन पर पाबंदी लग जाती है लेकिन इस पाबन्दी के बावजूद ऐडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधि आदि किसानों की कई बातों को देखते हुए इसमें शरीक हो जाते हैं और तामीर शुरू हो जाती है। मेरा कहना यह है कि दफा 6 फौर लगा करके उस जमीन को जब तक फौरन ऐक्वायर करने का इन्तजाम नहीं करेंगे इस चीज में फिर रूकावट पैदा होगी। दूसरे जो छोटे–छोटे लोग बड़े बड़े शहरों में आकर बसते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे फरीदाबाद एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल टाउनशिप है। वहां पर आबादी का बहुत अधिक दबाव है। दुनिया भर के लोग वहां आ कर बस गए हैं। जब तक उनको रिहायश के लिए जगह नहीं मिलेगी तब तक यह समस्या बनी रहेगी। फिर स्वाभाविक है कि इस चीज की तरफ उनका ध्यान जायेगा कि वहां के किसानों की जमीन, झुग्गी–झौंपडी या किसी दूसरी जगह से प्लाट किसी न किसी तरह से प्राप्त किया जाये। ऐसा होने पर सरकार के लिए दिन रात एक समस्या बन कर खड़ी हो जाती है। ऐडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के लिए भारी दिक्कत पैदा होती है। फिर कहा जाता है कि यह मानवता के विरूद्ध है क्योंकि जब ये लोग यहां बस गए हैं तो उनको हटाना अच्छा नहीं लगता। यदि उनको हटाया जाता है तो लोगों में त्राहि त्राहि मचती है जैसा कि अब हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में

एक सुझाव देना चाहूंगा। हुड्डा द्वारा जो बड़ी–बड़ी कालोनियां बनाई जा रही है और उनमें बड़ी बड़ी कोठियों के प्लाटों का प्रोविजन रखा जाता है उनके स्थान पर हुड्डा को छोटी कालोनियां को डिवैल्प करना चाहिए जिनमें 100 गज या 80 गज के प्लाट हों। एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिससे कि गांवों की तरफ से शहरों की ओर भागने का जो क्रेज है वह कम हो। बड़े–बड़े गांवों में या शहरों के नजदीक कालोनीज बनाने की कोई स्कीम हुड्डा द्वारा शुरू की जाए जिससे लोगों का शहरों की घनी आबादियों में आना कम हो। इन्डस्ट्रीज का जो दबाव बढ़ रहा है उससे हम आबादी के दबाव को भी नहीं रोक पाते। इन्डस्ट्रीज के कारण वर्कर्ज का शहरों में आना स्वाभाविक है। इस दबाव को रोकने के लिए इण्डस्ट्रीज के दबाव को रोक देना चाहिए। बड़े शहरों में इण्डस्ट्रीज अधिक लगाने की बजाए नजदीक के बड़े गांवों में इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए जैसे कि फरीदाबाद के नजदीक पजवल या हसनपुर आदि में इन्डस्ट्रीज के दबाव को बढ़ाया जाए ताकि वर्कर वहीं रह सकें। इससे एक तो बड़े शहरों में आबादी का दबाव कम होगा दूसरे ला–एंड–आर्डर की जो समस्या है वह भी काफी हद तक हल हो जाएगी। दूसरे इसमें जो एक एकड़ से अधिक जमीन बेचने के लिए सीाम निर्धारित की गई है उस बारे में यदि मंत्री जी कुछ सुधार कर लें तो बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि एक या डेढ़ एकड़ से अधिक भूमि बेचने के लिए जो पाबन्दी लगाई जा रही है वह हटा दी जाए ओर इसकी सीमा बढ़ाकर कम से कम अढ़ाई एकड़ की जाए।

बहुत से ऐसे छोटे किसान हैं जिन्हें एक–एक एकड़ जमीन बेचनी पड़ती है। (व्यवधान) एन.ओ.सी. का प्रावधान तो है लेकिन इससे उन्हें दिक्कत तो होगी ही। मेरे विचार से मंत्री जी बहुत समझदार है और स्वयं इस बात को जानते है कि लोगों को ऐडमिनिस्ट्रेटिव और कानूनी कितनी दिक्कतें दरपेश आती है। यदि इनको महसूस करते हुए इसमें कुछ संशोधन कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि 4–5 किलोमीटर का एरिया कण्ट्रोल एरिया मानते हैं और वहां जल्दी से आबादी बढ़ने का स्कोप नहीं होता। जहां तक सैक्टरों के बनने का सवाल है, 10–15 साल तक उनके बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों को रजिस्ट्रियां बहुत करवानी पड़ती है, जमीन रहन रखनी पड़ती है और जमीन पट्टे आदि पर भी देनी होती है। दूसरे जो इसमें एक हजार गज के प्लाटस की कालोनीज ऐप्रूवड हैं, उन्हें इसमें शामिल न किया जाए क्योंकि लोग खामखाह परेशान होंगे। उसके लिए जो मौजूदा ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं, म्यूनिसिपल कमेटियों के चेयरमैन हैं, अगर उनके अदायरे से क्लीयरैन्स या कालोनी की ऐप्रूवल न मांगे या उनकी पावर से इनको अलग रख लिया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगां तीसरे पुलिस अधिकारियों की जो व्यवस्था की गई उसमें मेरी राय है चाहे कोई आफिसर है या ओफिशिडल, व्यापारी है अथवा राजनीतिज्ञ उनमें अच्छे या बुरे व्यक्ति हर जगह पर होते हैं। अगर पुलिस को यह व्यापक अधिकार दे दिये जाएं तो मैं समझता हूं कि यह उन्हें लोगों को पकड़ने का अधिकार होगा तो जिस व्यक्ति को एक बार वे लोग पकड़ लेंगे फिर उसको

बार–बार तंग करेंगे और वे अनजाम जगह पर और अनजाने लोगों पर इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे कई चीजें गलत होगी। लौगों की परेशानी बढ़ेगी और भ्रश्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा तथा कई नुकसान उठाने पड़ेंगे। यदि इस पर पुनरर्विचार कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। निर्देशक का हैडक्वार्टर चण्डीगढ़ में होगा या कहां होगा इस बारे तो पता नहीं लेकिन डिस्ट्रिक्ट लैवल पर यदि उनको पावर दे दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ मैं बड़े नम्र लफजों में मंत्री महोदय से एक बात और कहना चाहूंगा जोकि पिछली बात के मुताल्लिक है। (व्यवधान) मेरा सुझाव है कि पिछले 10–15 साल से जो अन–अथोराइज्ड मकान और दुकानें बन गई हैं उनको बने रहने दिया जाए और उन पर पैनल्टी डालकर उनको रैगुलकर कर दिया जाए। इससे एक तो वह लोग बेघर–बार होने के से बच जाएंगे दूसरे जो दुकाने सालों से चल रही है और लोगों की सेवा कर रही हैं इनके मालिक उजड़ने और बेरोजगार होने से बच जाएंगे। सरकार को इससे आर्थिक फायदा भी होगा। धन्यवाद।

चौ. सतबीर सिंह कादियान (नौलथा): स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है, वह बड़ी सूझ–बूझ के साथ पेश किया है लेकिन मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। इस बिल के द्वारा सैक्शन 2 में जो क्लाज (एए) जोड़ी जा रही है, उसमें लिखा है–

"agriculture" includes horticulture, dairy farming, poultry farming and the planning and upkeep of an orchard"

लेकिन इसके अलावा जो और चीजें ऐग्रीकलचर से रिलेटिड हैं जैसे bee keeping sheep keeping, oil mills, fisheries etc. भी इसमें इन्क्लूड कर देनी चाहिएं। फिर सैक्शन 7–ए जो रजिस्ट्रेशन आफ सरटैन डौकुमैंटस के बारे में ऐक्ट में ऐड किया जा रहा है उसमें लिखा है कि अगर किसी किसान की जमीन अढ़ाई एकड़ से कम है और वह सारी जमीन बेच कर किसी दूसरी जगह पर शिफट करना चाहता है तो बेचने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी जमीन पांच किल्ले है और उसमें से अढ़ाई एकड़ से कम बेचना चाहता है तो उसकी इनटैन्शन दूसरी हो सकती है, गलत हो सकती है। स्पीकर साहब, यदि किसी को दो बीघे, तीन बीघे या एक बीघे जमीन है और वह जमीन को बेची कर दूसरी जगह शिफट करना चाहता है तो उसमें उसे परमिशन या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से महकमे से दिक्कत आयेगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और उसे बेचने की फौरन इजाजत होनी चाहिए। हो सकात हैउसने किसी को लेना देना हो इसलिए उसे बेचने की इजाजत होनी चाहिए। बस, मेरा इतना ही सुझाव है। बाकी का बिल बहुत सुधार करने वाला आया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमें इस बिली की बैकग्राउन्ड में

जाना चाहिए कि वे अन–अथोराइज्ड कालोनियां क्यों बनीं? ये अन–अथोराइज्ड कालोनियां इसलिए बनीं कि शहरों की आबादी दिन प्रति दिन बढ़ रही है। शहरों में बाहर के लोग आ रहे हैं और वे इसलिए आ रहे हैं कि शहरों में इन्डस्ट्रीज लग रही हैं। इसके लिए लोग अपनी जमीनें बेचते हैं लेकिन इसकी निजाम करना जरूरी है। दूसरे जो प्राईवेट लोग कालोनियां बनाते हैं उनमें पूरी सुविधायें नहीं होती। सड़कें, गालियां, पानी और नालियां वगैरह नहीं होती हैं इसलिए उस नजरिये से तो यह बात ठीक है। लेकिन जहां तक हुड्डा और दूसरी आवास मुहैया करने वाली सरकार आर्गेनाईजेशंज की बात है, उनकी कारगुजारी बड़ी अफसोसनाक है, कमजोर है। देखने वाली बात यह है कि क्या हम प्राईवेट लोगों को रोक कर सरकारी ऐजेन्सीज द्वारा आवास और इन्डस्ट्री की जरूरत को पूरा कर सके हैं? हमारा एक डेढ़ साल का तजुर्बा है कि पहले वाली रफतार में कोई फर्क नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि इस बिल के द्वारा एक काम तो बन्द कर दिया जो बन्द कर देना चाहिए था लेकिन आवास के लिए लोगों के पास शहनों में जगह नहीं है। अब तो देहातों में ऐग्रीकलचर लैंड पर मकान बनने शुरू हो गये हैं। सवाल अब यह है कि मकानों के बनने की रफतार तेजी से बढ़नी चाहिए क्योंकि लोगों केा आवास के लिए जितने मकानों की आवश्यकता है उतने नहीं मिल रहे हैं। हमने रोक तो लगा दी लेकिन जरूरत के बारे में कुछ नहीं सोचा और न हीं विश्वास दिलाया है। इसलिए जरूरत के बारे में विश्वास दिलाना चाहिए और हुड्डा तथा दूसरी

आर्गेनाईजेशन को तेजी से काम करना चाहिए। जितनी हमारी जरूरत है उसे हम पूरा करें।

अब मैं पुलिस के अधिकारों की बात भी करना चाहता हूं। लोक दल की सरकार बड़े भारी बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में आयी है। जनसमर्थन इस सरकार को पहले ही प्राप्त है। फिर हर बात में पुलिस को अधिकार देना मैं उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि जनसमर्थन ही काफी है और दूसरे कानून भी काफी हैं इसलिए पुलिस को अधिकार देकर कई जगहों पर गैर–जरूरी बात की जाती है। ऐसा करने से लोगों को हैरासमैंट होगी और फिर उन समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा जो पुलिस को अधिकार देने से पैदा होगी। इसलिए यह अधिकार देना जरूरी नहीं है।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसके बाद में एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं। फरीदाबाद के अन्दर 90 प्रतिशत मकान और दुकानें बन चुकी है और वे 20, 25, 30 साल से बनाी हुई हैं। ये बल्लभगढ़ से बोर्डर तक बनीद हुई हैं। इनमें दुकानें भी है और मकान भी हैं। कुछ दुकानें तोड़ी गई और कुछ नहीं तोड़ी गई। कम्पलैक्स का टैंकर जाता रहा और वहां दुकानें टूटती रही। फिर दुकानों के तोड़ने के स्टे आर्डर ले लिए गये। अब कुछ दुकानों को तोड़ा गया और कुछ को छोड दिया गया। फरीदाबाद के अन्दर नीलम सिनेमा से बाटा चौक तक होटल,

दुकानें, पट्रोल पम्प और स्कूल आदि बने हुए हैं। कुछ होटल को दस परसैन्ट जुर्माना लगा कर पास कर दिया गया। अभी दो महीने पहले हजी पास किये गये हैं। एक महालछमी होटल को तोड़ा गया। इसी तरह से सी.एम. साहब ने चिल्ड्रन पार्क के बारे में कहा था कि यह चिल्ड्रन पार्क, पार्क ही रहेगा और वह पार्क पास किया गया। पिछली सरकार ने उसे बेच दिया था। दो घन्टे में नक्शा पास किया गया और दो घंटे में पानी का कनैक्शन दिया गया। स्पीकर साहब, प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने यह कहा था कि जिनको उजाड़ा गया है, उनको हमने जगह दे दी है लेकिन तथ्य यह है कि एक आदमी के अलावा किसी को जगह नहीं दी गयी है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद के अन्दर जितनी भी अनअथोराईज्ड कालोनीज बनी हैं, उनमें से एक पर तो जुर्माना लगे और एक के ऊपर न लगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

Mr. Speaker: Sh. Hira Nand Arya and he will be the last speaker on this bill.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1988 इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं इसका समर्थन करते हुए कुछेक सुझाव पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस संशोधन की मूल भावना जो इसमें व्यक्त की गयी

है, वह अच्छी है। सारे प्रदेश में किस प्रकार से देहातों से शहरों और कस्बों की तरफ जनसंख्या जा रही है और वहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यह देखने वाली बात है। इस वजह से शहरों में अव्यवस्थित ढंग का निर्माण किया जा रहा है जिससे सेनीटैशन की, सड़कों की, बिजली की और पानी आदि की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सारी स्टेट में जो अनाधिकृत निर्माण हो रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जाये, यह इस बिल की मूल भावना है। इस सम्बन्ध में कानून तो पहले भी था लेकिन सरकार ने यह समझा कि वह इतना इफैक्टिव नहीं है इसलिये अध्यक्ष महोदय, उसमें संशोधन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि गैर–कानूनी तौर पर इस प्रकार का आवास निर्माण होता चला जाये जो बाद में गन्दी बस्तियों के रूप में बदल जाये। इसको रोकने के लिये इस प्रकार का विधिवत कानून जब तक नहीं होगा तब तक अच्छे ढंग से कालोनीज पनप नहीं सकेंगी। लोगों के स्वास्थ्य के लिये प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है, उस समस्या को दूर करने के लिये यह संशोधन पेश किया गया है और अब इसको लागू किया जायेगा। इससे हम पूर्णतया सहमत हैं। मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया है, हम उससे पूर्णतया सहमत हैं। इस विशय में अध्यक्ष महोदय, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पिछले इतने सालों से जगह–जगह अनाधिकृत कालोनीज किसानों की जमीनें लेकर बनायी गयी हैं। बीच–बीच में दलाल बनकर और कई बार बीच में उनका नाम भी नहीं होता,

सीधी जमीन किसान के कम कीमत पर लेकर उसके प्लाट बना–बना कर लोगों केा महंगे भाव पर दे दिये गये हैं! इस बिल में यह प्रोवीजन किया गया है कि एक हैक्टेयर से कम अगर कोई जमीन अर्बन एरिया में लेगा तो उसके लिये डायरैक्टर टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग से एन.ओ.सी. लाजमी लेना पड़ेगा वरना उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पायेगी। पहले इसमें यह भी नहीं था जो अब किया गया है कि कृशि में बागवानी, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन उद्योग तथा किसी फलोद्यागन को रोपण और अनुरक्षण को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार के नाम से जमीन को बचाने के लिये जो एक बचाव का रास्ता ढूंढा गया है, यह मैं समझता हूं कि लोगों को इससे लाभ पहुंच सकेगा! अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हमारी सरकार बनी तो उस वक्त यह महसूस किया गया था कि अनअथोराईज्ड कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार आज भी इस बात को मानती है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। हमारे मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल का यह प्रयत्न रहा है इस बारे में असल किया जाये। हम इस बारे में असल करने का प्रयत्न कर भी रहे हैं परन्तु कई बार कानून होते हुए भी हम उस कानून की किसी कमी की वजह से पालना नहीं कर पाते। इसमें कुछ दिक्कत आती है। कानून तो अब भी है कि कोढ जमीन पर अन–अथोराईज्ड कब्जा कर ले तो उसको हटाने के लिये पुलिस की सहायता मिल सकती है। आपको भी याद होगा कि पिछले दिनों हमारे केन्द्रीय कृशि मंत्री के रिश्तेदारों ने हमारे अधिकारियें को धमकी दी थी और वह धमकी देने का क्या कारण

था? कारण यह था कि कौमन लैंड पर, पंचायत की लैंड पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ था। उस जमीन से कब्जा छुड़ाने के लिए तहसीलदार, हिसार ने जमनी की डिग्री पास की कि यह गैर–कानूनी कब्जा है और उस कब्जे को बेदखल करने के लिए भी डिग्री पास कर दी। लेकिन कानून में प्रावधान होने के बावजूद भी उस अधिकारी ने पुलिस डिपार्टमैंट में एस.पी. को लिखा कि मुझे पुलिस की मदद दी जाए ताकि सरकार की जो जमीन है उसको बेदखल करा सकूं। स्पीकर साहब, जहां तक मुझे जानकारी है पुलिस महकमें की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई और आज भी वहां गंदा पानी बहता है, वहां गैस पास होती है और इस वजह से सड़कों पर जो सरकीर पेड़–पौधे लगे हुए हैं वे खराब हो रहे हैं। यह गंन्दा पानी और गैर वहां पर एक फैक्टरी लगी हुई हैं उससे आती है। मैं कहता हूं कि कानून तो बना है लेकिन उस कानून को लागू नहीं किया जाता तो लोक राज नहीं रह जाता। कानून को लागू न करना लोक राज की परिधि को पार करना है। इसलिए जो कानून बने हैं उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह दिया गया है कि अगर टाउन एण्ड कन्टरी प्लानिंग का डायरेक्टर नव्वे दिन या तीस दिन के अन्दर एक हैक्टेयर जमीन या एक हजार सक्वेयर मीटर जमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट नहीं देता तो यह मान लिया जाए कि उसने सर्टिफिकेट दशू कर दिया और वह आदमी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कई बार कौरसपौंडैस में काफी टाईम लग जाता है और सिकी आदमी को मजबूरी में जमीन बेचनी होती

हैं तो वह अब बिना सर्टिफिकेट इशू हुए भी जमीन बेच सकेगा। अध्यक्ष महोदय इसमें एक बात दी गई हैं और उसके बारे में मैं स्पश्टीकरण चाहूंगा। इसमें लिखा है – इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये अभियोजन, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। मतलब यह है कि पुलिस अधिकारी को डायरेक्टर आफ टाऊन एंड कंटरी प्लानिंग से इजाजत लेनी होगी। लेकिन साथ में यह भी दिया है–

"to communicate without delay to the Director or any other officer authorised in writing by him in this behalf, any information which he receives of a design to commit or of the commission of any offence against this act or any rule or regulation made thereunder....."

स्पीकर साहब, इस प्रकार की व्यवस्था भी इसमें की है कि वह डायरेक्टर आफ टाऊन एण्ड कन्टरी प्लानिंग को बिना डिले सूचना दे। लेकिन इसमें यह नहीं दिया कि अगर वह डिले कर दे तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई पुलिस औफिसर को इतलाह दे और वह पुलिस अधिकारी कार्यवाही न करे तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई पुलिस औफिसर को इतलाह दे और वह पुलिस अधिकारी कार्यवाही न करे तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? क्योंकि ऐसा होता रहा है इसलिए यह मैं जानना चाहता हूं। स्पीकर साहब, यह कानून है कि अगर कोई आदमी किसी को धमकी देता है तो उस

धमकी देने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्पीकर साहब, मुझे इस महान सदन का सदस्य होने का गौरवल प्राप्त है। विधायक तक को लोग टेलीफोन पर धमकी देते हैं लेकिन पुलिस के कोई ऐक्शन नहीं लिया। उनकी मर्जी की बात है। पूंजीपति मेरे जैसे गरीब आदमी को धमकी दे और और ऐक्शन न लिया जाए, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? हमारे कई मंत्री इस पर हंस रहे हैं। अगर उनको इससे खुशी मिलती है तो खुशी मना लो। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, श्री हीरा नन्द ने इस बारे में एक काल अटैन्शन मोशन दी हुई है और व आपके जेरे गौर है। उसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिन्ता व्यक्त की है। मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। श्री हीरा नन्द इस सदन के एक वरिश्ठ सदस्य हैं। कोई बात होगी तो सरकार इस दिशा में स्टैप्स लेगी।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं दो अढ़ाई महीनों से चिल्ला चिल्ला कर रह गया हूं, और ये मेरी बात नहीं समझते, यह कितने अफसोस की बात है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Arya Sahib, you please take your seat. This is not the point at issue.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, जब मैं लास्ट स्पीकर हूं और दूसरा कोई बोलने वाला नहीं है तो फिर मुझे और

टाईम दिया जाना चाहिये। मुझे अपनी बातें कहने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहियें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Arya Sahib, you have alreay taken more than 10 minutes. You please take your seat now. (Interruptions).

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, नाजायज कब्जों के बारे में कई बार सच्ची शिकायतें भी आती हैं और कई बार झूठी शिकायतें भी आती हैं (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, एक पींग अखबार में हमारे माननीय वित मंत्री महोदय के बारे में कुछ छपा है (शोर एवं व्यवधान) उनको एक खबर के तहत यूं ही घसीटा गया है (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Arya Sahib, this is not the point at issue. I will not allow you to speak like this. (Interruptions).

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, यह सारा मामला झूठा है। उस पींग अखबार वाले को सजा मिलनी चाहिये।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं तो खुद चाहता हूं कि उस 'पींग' अखबार के सम्पादक को सजा मिलनी चाहिये। उसके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान) मैंने तो केवल इतना ही कहा है कि उस पींग अखबार ने हमारे वित मंत्री महोदय के बारे में गलत लिखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, आप अपनी लिमिट से बाहर जाकर बोल रहे हैं। आप बिल पर ही बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्यः ठीक है जी। मैं मूल रूप से बिल पर ही आता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस को जितने कम अधिकार दिये जाएं उतना ही ठीक है क्योंकि पुलिस को ज्यादा अधिकार देना प्रजातन्त्र की भावना के खिलाफ होता है। पहले यह था कि अगर कोई नाजायज कब्जा कर लेता था तो उसको डिमौलिश करने का कोई अधिकार नहीं थां लेकिन अब इस कानून के तहत अगर कोई अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसको डिमौलिश भी किया जा सकेगा उसी से वसूल किया जाएगा। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस विधेयक को ठीक तरह से लागू किया गया तो हम भोले भाले लोगों को कोलोनाईजर्ज की लूट से बचा पाएंगे। इसलिये इस कानून को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): स्पीकर सर, बिल तो हुड्डा से सम्बन्धित था लेकिन इसकी आड़ में एक दो सदस्यों ने कुछ दूसरी बातें भी कह दीं। मैं समझता हूं कि सदन के सामने वे बातें आनी चाहिये। पहली बात तो श्री भाटिया जी ने कह दी, पता नहीं कि वे किस बात से खुा हैं और दुःखी हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में चिल्ड्रन पार्क का नक्शा दो घंटे में पास कर दिया गया। आदरणीय स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जब भी

कोई सम्माननीय सदस्य विधान सभा में बोले ता कम से कम उसकी सच्चाई हमारे सामने आनी चाहिए। किसी के बहकावें में आ करके, किसी के कहने से नहीं या किन्हीं और कारणों से प्रभावित होकर कोई गल्त बातें नहीं कहनी चाहिये। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि जो चिल्ड्रन पार्क है, उसका कोई बिल्डिंग प्लान अब तक पास नहीं हुआ है और वह अभी तक विचाराधीन है। सरकार ने अभी फैसला करना है कि उसको पास किया जाये या न किया जाए। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे है।

दूसरी बात स्पीकर सर, इन्होंने एक होटल के बारे में कह दी कि एक ही होटल के डिमौलिशन के आर्डर हो गये। कुछ के नहीं हुए। इस बारे में, मैंने काल अटैंशन के वक्त भी बताया था कि जिन के स्टे आर्डर हैं उनको वैकेट कराने के लिये हमारी जो सरकारी एजेन्सी है वह इस बारे में पूरी कोशिश कर रही है और एक होटल के स्टे आर्डर वैकेट भी हो गये हैं। मैंने उस वक्त एक बात कही थी और अब भी कर रहा हूं कि जिस जिस भी अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन में स्टे आर्डर था और वह जब वैकेट हो गया तो उसकी डिमौलिशन के लिये उसी वक्त कार्यवाही की गयी और आइन्दा भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कुछेक केसिज कोर्ट में पैंडिंग हैं। जब उन केसिज के बारे में वहां से हमें वेकेशन के आर्डर मिल जाएंगे तो उनके खिलाफ भी बाकायदा कार्यवाही की जाएगी। स्पीकर साहब, अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ चलते चलते और भी कई बातों का जिक्र वे कर

गये। स्पीकर साहब, कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर चुनाव शुरू होते ही पेश किया गया और सरकार को कुछ दिनों के लिए सी.ए. को छुट्टी पर भेजना पड़ा। चुनाव के दिनों में ही वह अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बन गई। इस बारे में वहां के स्थानीय विधायक भी जानते थे। उनका भी तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में पूरा हाथ था। स्पीकर साहब, मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ज्यों–ज्यों स्टे वैकेट होती जाएगी, इस तरह की अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाएगा। दूसरे, आर्य साहब ने जिक्र किया कि किसी तहसीलदार ने पुलिस की हैल्प मांगी लेकिन पुलिस ने ऐकशन नहीं लिया। अगर कोई सच्ची बात हो, उसको कहने की तो कोई बात बनती हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर कोई ऐसी बात होती है तो तहसीलदार डी. सी. के पास जाएगा और डी.सी. पुलिस की हैल्प मागेंगा। जब किसी मामले में डी.सी. पुलिस की हैल्प मांगता है तो उसको फौरन मदद दी जाती है। इस मामले में अब तक कोई हैल्प नहीं मांगी गई, अगर मांगेंगे तो फौरन दी जाएगी।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मौजूदा बिल पर सदन के दस माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुझे खुशी हो रही है कि सबके सबने इस बिल का समर्थन किया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि श्री हीरा नन्द आर्य जी ने भी इसका समर्थन किया। वे ऐसी बात हाउस में कम ही कहा करते है। इस बात के लिए मैं उनको

मुबारिकबाद देता हूं। दस स्पीकर्ज में से ये ऐसे स्पीकर थे जिन्होंने बिल को क्लाज बाई क्लाज पढ़ा हुआ था और इनको बिल की असली मन्शा का पता था। स्पीकर साहब, आपको पता है कि इस बिल को हर वर्ग की तरफ से और हाउस के सभी सदस्यों की ओर से समर्थन मिला है। इसका कारण यह हे कि जो अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है और जो अनस्क्रुपुलस कालोनाईजर्ज हैं उनसे हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है। इन लोगों ने जनता का जब्रदस्त शोशण किया है और बीमारी बहुत भयंकर रूप अख्तियार कर गई थी। माननीय सदस्यों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पिछले राज की वर्किंग का जिक्र किया और हुड्डा की वर्किंग का जिक्र किया, परन्तु बिल पर कोई विशेश बात नहीं कही। इसी प्रकार से एक दौर और माननीय सदस्यों ने हुड्डा की वर्किंग पर बोला और ठीक विचार व्यक्त किए कि 1980–81 में पिछली कांग्रेस सरकार ने एक पौलिसी अख्तियार कर ली कि प्राईवेट लोगों को लाइसैंस दिए जाएं। हुड्डा किसी दिन इसीलिए बनाया गया था कि यह लोगों की सेवा करेगा और लोगों के रहने के लिए अच्छे सैक्अर डिवैल्प करके प्रोवाइड करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि यह सारे का सारा महकमा, यह अथौरिटी बदनाम हो कर रह गई और वह बदनामी विरासत में हमें मिल गई। लेकिन चौ. देवी लाल जी की सरकार ने आते ही कुछ सख्त कदम उठाए और जो बदनामी पहले इस अथौरिटी को मिल चुकी थी उसको साफ करने की कोशिश की। अभी भी उस कोशिश में हम लगे हुए हैं और मैं माननीय सदस्यों को यकीन

दिलाता हूं कि गवर्नमैंट की हर मुमकीन कोशिश होगी कि हुड्डा जिस नजरिए से बना था, कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगा कि हुड्डा हरियाणा के लोगों की सर्विस में है, उनकी सेवा के लिए हैं। जो गन्द मचा हुआ है उसको हम आप सबकी मदद से साफ कर पाएंगे ऐसा हमारा प्रयास होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल की कुछ क्लासिज पर शंकाएं व्यक्त की हैं। चौ. महेन्द्र प्रताप जी ने एस.ओ.सी. के बारे में कहा था कि ऐप्रूव्ड कालोनी के एिल एन.ओ.सी. डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही मिल जानी चाहिए। इमें भी इस पर कोई आपति नहीं है और इस बिल के जरिए भी यही बात की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट लैवल के जो औफिसर्ज होंगे उनको एन.ओ.सी. देने के लिए पावर डेलीगेट की जाएगी। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एन.ओ.सी. के जरिए बाकायदा शहर नोटिफाई किया जाएगा। उन्हीं शहरों को नोटिफाई किया जाएगा जहां पर अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन का डर है। फर्ज कीजिए एक शहर है झज्जर वहां पर अगले 20–30 साल में कोई अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन किए जाने का खतरा नहीं है। आज के दिन केवल तीन चार शहर ऐसे नजर आते हैं जिनमें अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन होने का खतरा हो सकता है जैसे गुड़गांवा, फरीदाबाद और पंचकुला इन शहरों में कंस्ट्रक्शन के लिए वक्त के हिसाब से नोटिफिकेशन की जाएगी वैसे ही आम जनता को हरास करने के बारे में हमारी कतई तौर पर कोई नीयत नहीं हैं जो शहर नोटिफाई किए जाएंगे उन्हीं शहरों के डिस्ट्रिक्ट लैवल के औफिसर्ज को एन.ओ.सी. देने की पावर

डैलीगेट करने की प्रोवीजन रखा जा रहा है इसके अलावा श्री बलबीर सिंह चौधरी ने मुआवजे के बारे में एक बात कही कि किसानों को 12 हजार रूपए प्रति एकड के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि डी.सी. साहब जो कलैक्टर हें वह अवार्ड की प्राइस मुकरर्र करते हैं उसके हिसाबर से हुड्डा अवार्ड की घोशणा करता है। हुड्डा द्वारा अवार्ड की घोशणा के बाद जो भी जमीन का मालिक होता है वह कोर्ट में जाता है तो कोर्ट हमेशा शत–प्रतिशत केसों में मुआवजे की रकम बढ़ाती है ओर वह रकम बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक इतनी बढ़ जाती है जिसका यह अंदाजा लगाया जाना भी बड़ा मुश्किल है कि जिस दिन जमीन ऐक्वायर की गई उस दिन उसकी क्या कीमत थी। इस विशय में हमने सोचा कि इसका क्या ईजाज किया जाए, कई ख्यालात दिमाग में आए और कई स्कीमें दिमाग में आई और हमारे औफिसर्ज ने भी इस बारे में काफी अच्छे सुझाव दिए लेकिन हर सुझाव में कहीं न कहीं कोई कमी नजर आई। इस बारे में अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है अगर इस बारे में कोई रासता निकलेगा तो जरूर निकालेंगे। हम खुद यह महसूस करते है कि जो हुड्डा के प्लाट होल्डर्ज हैं उन पर यह तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कब कम्पनसेशन ऐन्हांस कर दे और हमें वह बढ़ा हुआ पैसा अदा करना पड़े लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इसका कोई न कोई इलाज जरूर होना चाहिए लेकिन अभी तक हमें कोई ईलाज नहीं मिल सका है। मैं अपने माननीय सदस्यों को यह बताना

चाहूंगा और आश्वासन देना चाहूंगा कि इस बारे में कोई न कोई हल निकालेंगे अगर नही निकला तो मजबूरी है। यदि कोई माननीय सदस्य इस बारे में कोई सुझाव देना चाहें तो मोस्ट वैलकम हम उनके सुझावों को बहुत अच्छी तरह से ऐग्जामिन करेंगे। यह तो आपने देख लिया होगा कि आर्य साहब तो सारे बिल को अच्छी तरह से पढ़ कर आए थे। एक बात श्री रघु यादव ने कही कि कानून तो पहले भी मौजूद था और कालोनाईजर्ज पर आप चाहे 10 हजार रूपए से लेकर एक लाख रूपए तक फाइन लगा दे उसकी वे परवाह नहीं करते। इस किस्म के आदमियों के पास बहुत पैसा होता है

12.00 बजे

इसलिए वे कोई परवाह नहीं करते हैं। इसीलिए इसमें 3 साल की सजा की प्रोवीजन की गई है इस सजा काबिल में पहले कोई प्रोवीजन नहीं था। अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शना करने का महकमें के पास पहले कोई अधिकार नहीं था, अब इस बिल के जरिए महकमें ने यह अधिकार लिया है। The law has teeth now. इस कानून में अब जान आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आगे अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रोक पाएंगे। साथ ही साथ मैं सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हरास नहीं किया जायेगा। सरकार की कोई मन्शा नहीं है कि किसी व्यक्ति को पुलिए के जरिए या महकमें के जरिए परेशान किया जाये। इसके साथ ही साथ मैं

सदन को यह भी आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अब हुड्डा ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लोगों को देने की कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा सैक्टर फलोट करने की कोशिश करेगा ताकि लोगों को प्लाट मिल सकें। किसी एक साथी ने यह बात भी कही है कि जो प्लाट शहरों में काटे जाते हैं वे गरीब आदमी की खरीद से बाहर होते हैं। वे प्लाट इतने महंगे होते हैं कि गरीब लोग शहरों में प्लाट लेने में असमर्थ होते हैं। वे प्लाट इतने महंगे होते हैं कि गरीब लोग शहरों में प्लाट लेने में असमर्थ होते हैं। मैं अपने उस साथी को बताना चाहूंगा कि हम हर सैक्टर में वीकर सैक्शन के लिए प्लाटों की बाकायदा रिजर्वेशन रखते हैं जिनकी कीमत 100 रूपये गज के आसपास होती है। चाहे उस सैक्टर में प्लाटों की कीमत 5 हजार रूपये गज ही क्यों न हो। ऐसी बात नहीं है कि हम गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखते। स्पीकर साहब, जिस भावना के साथ इस बिल को हमारे साथियों ने ऐप्रिशिएट किया है, इसका समर्थन किया है, उसी भावना के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि महकमा इनको कायम रखने की कोशिश करेगा हमारी कोशिश होगी कि आने वाल समय में हरियाणा के हर शहरी को सुन्दर और बढ़िया बना सकें। इसके साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि हर शहर का हर सैक्टर फले फूले ताकि वह शहर सुन्दर लग सके।

स्पीकर साहब गांवों की तरफ भी हमारा ख्याल है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिए हैं कि

गांवों की तरफ भी विशेश ध्यान दिया जाये। इन आदेशों पर महकमा कार्यवाही कर रहा है। अन्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को एक मत से पास किया जाये।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is-

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is-

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रा: 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

***12.05 बजे**

(तत्पश्चात सदन शुक्रवार, दिनांक 26.8.1988 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित * हुआ)